


ANNUAL REPORT

2015-2016

**NATIONAL CAPITAL REGION
TRANSPORT CORPORATION LIMITED**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
परिवहन निगम लिमिटेड





**NATIONAL CAPITAL REGION
TRANSPORT CORPORATION LIMITED**



अनुक्रमणिका

निदेशक मंडल	2
निदेशक रिपोर्ट	3-11
सचिवालय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	12-14
एमजीटी-9 वार्षिक विवरणी का सारांश	15-20
वार्षिक लेखा	21-29
लेखा परीक्षक रिपोर्ट	30-38
सीएजी की टिप्पणी	39-40

लेखा परीक्षक
मैर्सस सरिया गुप्ता एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
नई दिल्ली

एस पी जे एंड कं., कंपनी सचिव
सचिवालय का लेखा परीक्षक, नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना परिषद, कोर, -IV बी, प्रथम तल,
इंडिया हैबिटेड सेंटर लोदी रोड, नई दिल्ली. 110003
फोन नं. 011-24642285
सीआईएन नं. U60200DL2013GOI256716

कोरपरेट आफिस :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
7/6, एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इस्टीट्यूशनल क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049
फोन नं. 011-41066943
सीआईएन नं. U60200DL2013GOI256716

— Contents —

Board of Directors	2
Director's Report	3-11
Secretarial Audit Report	12-14
MGT-9 Extract of Annual Return	15-20
Annual Accounts	21-29
Auditor's Report	30-38
Comments by CAG	39-40

Statutory Auditors
M/s Saria Gupta & Co.
Chartered Accountants
New Delhi

S P J & Co., Company Secretary
Secretarial Auditors, New Delhi

Registered Office:

National Capital Region Transport Corporation Limited
National Capital Region Planning Board, CORE-IV B, First Floor, India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi – 110003
Phone No: 011-24642285
CIN NO. U60200DL2013GOI256716

Corporate Office:

National Capital Region Transport Corporation Limited
7/6, AMDA Building, Siri Fort Institutional Area,
August KrantiMarg, New Delhi – 110049
Phone No: 011-41066943
CIN NO. U60200DL2013GOI256716

निदेशक मंडल

श्री राजीव गाबा

: अध्यक्ष / एनसीआरटीसी लि. एवं सचिव, (यूडी),
शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

: निदेशक, एनसीआरटीसी लि. एवं अतिरिक्त सचिव (यूडी),
शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

श्री-बिजय कुमार त्रिपाठी

: निदेशक, एनसीआर टीसी लि. एवं. सदस्य सचिव राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड इंडिया हेबिटेड सेंटर-
नई दिल्ली-110003

श्री के.के. अग्रवाल

: निदेशक, एनसीआरटीसी लि. एवं कार्यकारी निदेशक
निर्माण / योजना, रेल मंत्राल, रेलवे बोर्ड

श्री उमेश कुमार

: निदेशक, एनसीआरटीसी लि. एवं अपर मुख्यसचिव
डीएमआईसी, राजस्थान सरकार राजधान सेक्ट.,
जयपुर-302005

श्री दिपिन्दर सिंह धेसी

: निदेशक, एनसीआरटीसी लि. एवं मुख्यसचिव
हरियाणा सरकार

श्री केवल कुमार शर्मा

: निदेशक, एनसीआरटीसी लि. एवं मुख्यसचिव
दिल्ली सरकार, -दिल्ली-110002

श्री रवीन्द्र नायक खात्रावथ

: निदेशक, एनसीआरटीसी लि. परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार

* श्री विनय कुमार सिंह

: प्रबंध निदेशक / एनसीआरटीसी लि.

Board of Directors

Shri Rajiv Gauba	: Chairman/NCRTC Ltd. & Secretary, (UD), MoUD Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
Shri Durga Shanker Mishra	: Director, NCRTC Ltd. & Addl. Secretary (UD), MoUD Nirman Bhawan, New Delhi-110003.
Shri Bijay Kumar Tripathi	: Director, NCRTC Ltd. & Member Secretary, National Capital Region Planning Board, India Habitat Centre, New Delhi-11003.
Shri K. K. Aggarwal	: Director, NCRTC Ltd. & Executive Director, Works/Planning, Ministry of Railways, Railway Board.
Shri Umesh Kumar	: Director, NCRTC Ltd. & Addl. Chief Secretary, DMIC, Government of Rajasthan, Rajasthan Sectt., Jaipur-302005
Shri Depinder Singh Dhesi	: Director, NCRTC Ltd. & Chief Secretary, Government of Haryana.
Shri Kewal Kumar Sharma	: Director, NCRTC Ltd. & Chief Secretary, Government of NCT – Delhi-110002.
Shri Ravinder Naik Khatravath	: Director, NCRTC Ltd. & Transport Commissioner, Government of Uttar Pradesh.
Shri Vinay Kumar Singh	: Managing Director/NCRTC Ltd.

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

नई दिल्ली

आपके निदेशक को 31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए, लेखा परीक्षित वित्तीय खातों के विवरण और नियंत्रण एवं भारत के महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ-साथ कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य निर्धारित ब्यौरे को प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रहा है।

वित्तीय निष्पादन

आपके निगम ने अभी तक व्यवसाय की घोषणा नहीं की है। 31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले इस वित्त वर्ष की उपलब्धि इस प्रकार है:-

विवरण	राशि (रु. में)
सावधि जमा पर ब्याज से होने वाली आय	73,780,351
लागत (पूर्व समावेश सहित अनुपातिक व्यय)	18,48,762
कर पूर्व लाभ	71,931,589

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह लाभ केवल अधिशेष फण्ड के निवेश पर प्राप्त ब्याज से हैं, न कि निगम के संचालन से।

साथ ही साथ, लागू होने वाले प्रावधानों के मुताबिक उपरोक्त आय को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में माना जा रहा है, और उसमें से जैसे लेखा परीक्षकों का शुल्क और सांविधिक शुल्क आदि के हिसाब से अनिवार्य व्यय में से कटौती की गई है। सदस्यों द्वारा इसी हिसाब से गौर किया जा सकता है।

पूंजी की संरचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निगम अपने प्रदत्त पूंजी को 72.50 लाख रु. से बढ़ाकर 100.00 करोड़ रु. किया है। जिसने किशतों में सदस्यता का भुगतान किया था उन आरंभिक काल के कुछ हितधारकों को छोड़कर हितधारकों ने उनके द्वारा किये गये भुगतान को स्वीकार किया था। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख को निगम ने 100 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी का उपार्जन कर लिया है।

इसके साथ, सभी हितधारकों को उनका यथोचित हिस्सा को चुका दिया था और इसके साथ हितधारकों का प्रतिशत शेयरधारकों के मौजूदा सीमा का उल्लेख नीचे दिया गया है।

DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders
National Capital Region Transport Corporation Limited
New Delhi

Your Directors have pleasure in presenting 3rd Annual Report of the Company together with the Audited financial statements of accounts and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended 31st March, 2016 and other prescribed particulars.

FINANCIAL PERFORMANCE

Your Corporation is yet to Commence Business. Its financial performance for the Year ended 31st March 2016 is as under:

Particulars	Amount (in Rs.)
Income from Interest on Fixed Deposit	73,780,351
Expenditure (including proportionate pre-incorporation expenses)	18,48,762
Profit before Tax	71,931,589

It is pertinent to mention here that the income is from interest on investment of surplus funds only and not from operations of the Corporation. Furthermore, In terms of applicable provisions said income is being treated as Income from other sources and accordingly certain expenses like Auditors Fee and Statutory Fee etc. has been deducted therefrom. Members may consider same accordingly.

CAPITAL STRUCTURE

During the period under review, the Corporation raised its paid up capital from Rs. 72.50 Crores to Rs. 100.00 Crores. Most of the takeholders have paid money committed by them at the time of inception barring few stakeholders who paid their subscription in tranches. As on date of submission of this report the paid up capital of Corporation stands at to Rs. 100.00 Crores.

With this, all the stakeholders had tendered their respective share and accordingly the present extent of shareholding along with stakeholder percentage is stated as hereunder:

(राशि लाख में)

	%	कुलराशि	प्राप्त राशि	देय राशि
केन्द्र सरकार				
शहरी विकास मंत्रालय	22.50	2250.00	2250.00	--
रेलवे मंत्रालय	22.50	2250.00	2250.00	--
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5.00	500.00	500.00	--
राज्य सरकार				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12.50	1250.00	1250.00	-
हरियाणा	12.50	1250.00	1250.00	-
राजस्थान	12.50	1250.00	1250.00	-
उत्तर प्रदेश	12.50	1250.00	1250.00	-

वित्तीय विशेषताएं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने ब्याज युक्त साधन जैसे सावधि जमा में जमा निष्क्रिय निधि से राजस्व उपार्जित किया है उदाहरण के लिए अन्य स्रोतों से कुल उपार्जित आय लगभग 7.37 करोड़ रुपया था। इसी अवधि में कम्पनी के पंजीयक को दिया गया सांविधिक शुल्क और सनदी लेखापक्षिक को दिया गया शुल्क कुल व्यय में शामिल है। इसका अतिरिक्त, कर प्रदान करने के बाद, शुद्ध लाभ 4.75 करोड़ रु. था।

लाभांश

निगम अपना व्यापार शुरू करने के लिए अभी तक वर्ष 2015-16 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

सामान्य आरक्षित विनियोग

निगम अपना व्यापार शुरू करने के लिए अभी तक वर्ष 2014-15 हेतु सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित करके लिए किसी राशि की सिफारिश नहीं की है।

भावी संभावना और परियोजना की स्थिति

एनसीआर क्षेत्रों में शहरी परिवहन मंडल को सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्चा बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। जहां आपकी कम्पनी मुख्य स्रोत के रूप में काम करेगी उसमें बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल होगा।

(Amount Rs. in lakhs)

	%	Total Amount	Amount Received	Amount Due
Central Government				
Ministry of Urban Development	22.50	2250.00	2250.00	--
Ministry of Railways	22.50	2250.00	2250.00	--
National Capital Region Planning Board	5.00	500.00	500.00	--
Board				
State Governments				
National Capital Territory of Delhi	12.50	1250.00	1250.00	-
Haryana	12.50	1250.00	1250.00	-
Rajasthan	12.50	1250.00	1250.00	-
Uttar Pradesh	12.50	1250.00	1250.00	-

FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year under review, the Corporation earned revenue out of idle funds parked in interest bearing instruments i.e. Fixed Deposits. Total income earned i.e. Income from other Sources were Rs. 7.37 crores approx. The expenditure incurred during the same period was in form of fees paid to Registrar of Companies and Statutory Auditor's fee. Further, after providing for tax, there was a net profit of Rs. 4.75 crores.

DIVIDEND

As the Corporation is yet to commence its business, no dividend has been recommended for year 2015-16.

APPROPRIATION TO GENERAL RESERVE

As the Corporation is yet to commence its business, no amount has been recommended for transfer to General Reserve for the year 2015-16.

FUTURE OUTLOOK AND STATUS OF THE PROJECT

The Commitment to increase its spending on Infrastructure is the key to improve urban transport in NCR area. This includes improvement in Infrastructure where your company shall act as a catalyst.

विभिन्न शोध और पूर्ण प्राप्त विवरण की तालिका

सी. क्र.	रिपोर्ट	दिल्ली सोनीपत पानीपत आरआरटीएस कारीडोर	दिल्ली गुडगांव रिवाड़ी-अलवर आरआरटीएस कारीडोर	दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कारीडोर
1	स्थापना रिपोर्ट	13/05/2010	13/05/2010	13/05/2010
2	मौजूदा स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट	23/11/2010	16/08/2010	17/03/2011
3	संभावित यात्रा मांग रिपोर्ट	23/11/2010	23/11/2010	17/03/2011
-	संभावित यात्रा मांग रिपोर्ट परिशिष्ट	-	17/03/2011	-
4	कारीडोर मार्ग रेखा रिपोर्ट	23/11/2010	17/03/2011	17/03/2011
5	व्यवहारिता रिपोर्ट,	02/12/2012	14/10/2011	26/03/2012
	भू जांच रिपोर्ट	26/03/2012	02/02/2012	26/03/2012
	स्थलाकृतिक रिपोर्ट	26/03/2012	02/12/2012	02/02/2012
-	व्यवहारिक रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट	-	02/02/2012	-
6	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का विस्तृत मसौदा	23/04/2015	तैयार होना है	तैयार होना है
7	हितकारक मुद्दों परसारांश रिपोर्ट	सीआरसी आयोजित	तैयार होना है	तैयार होना है
8	अंतिम रिपोर्ट विस्तृत प्रोजेक्टर रिपोर्ट	तैयार होना है	तैयार होना है	तैयार होना है

निगम द्वारा शुरू किए जा रहे परियोजना का इरादा और कौशल की विवेचना करता है, इसलिए बोर्ड आरआरटीएस से संबंधित शुरुआती कार्य को पूरा करने पर जोर देता है और दिल्ली-पानीपत के लिए डीपीआर का मसौदा प्राप्त करना है।

माननीय शहरी विकास मंत्री ने विशेषज्ञों की समिति बनाई है, जो विभिन्न परियोजना की व्यवहारिकता का जायजा लेगी। दिल्ली-मेरठ (आरआरटीएस) कोरीडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-58, के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तु की एन.एच.ए.आई. एनएसआईने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से राष्ट्रीय राजमार्गों को यह कारीडोर निर्माण के लिए पुनः सूचनाकृत किया है। सदस्यों को सूचित है कि दिल्ली-सोनीपत-पानीपत कारीडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार समीक्षा समिति (सीआरसी) द्वारा 23 अप्रैल 2015 को हुई बैठक में पारित कर दिया गया है। एनसीआर योजना बोर्ड ने 27 जुलाई 2015 को दिल्ली-पानीपत कारीडोर के डीपीआर मसौदे पर राय जानने के लिए हितधारकों की एक काग्रेसाला आयोजित की जिसमें सभी का उत्साहजनक रिस्पांस मिला।

Table of various studies completed /received

	Report/Deliverables		Delhi-Sonipat-Panipat RRTS	Delhi-Gurgaon-Rewari-Alwar RRTS Corridor	Delhi-Meerut RRTS Corridor
1	Inception Report		13/05/2010	13/05/2010	13/05/2010
2	Existing Condition Analysis		23/11/2010	16/08/2010	17/03/2011
3	Travel Demand forecast Report		23/11/2010	23/11/2010	17/03/2011
-	3a. Addendum to Travel		-	17/03/2011	-
4	Corridor Alignment Report		23/11/2010	17/03//2011	17/03/2011
5	Feasibility Report, Topographical study Report and	5a. Feasibility	02/12/2012	14/10/2011	26/03/2012
		5b. Topographical Report	26/03/2012	02/02/2012	26/03/2012
		5c	26/03/2012	02/12/2012	02/02/2012
-	5d. Addendum to Feasibility		-	02/02/2012	-
6	Draft Detailed Project Report		23/04/20	Yet to be	Yet to be
7	Report on Summary of		CRC to be	Yet to be	Yet to be
8	Final Report (Detailed Project Report)		Yet to be prepared	Yet to be prepared	Yet to be prepared

The project intended to be initiated by Corporation entails detailed planning, hence your Board is pursuing the matter pertaining to initial preliminary work related to RRTS and are to state that draft of DPR's stands received for Delhi Panipat from consultant.

Hon'ble MoUD had also constituted a Committee of Experts (COE) to examine the feasibility of construction of Delhi – Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS) Corridor on the median and within the Right of Way (RoW) of NH-58 for which necessary report stands submitted. NHAI has de-notified the NH 58 from the list of National Highways thus paving the way for construction of this corridor. Members may further note that Draft Detailed Project Report (DPR) for Delhi-Sonipat-Panipat RRTS Corridor was approved by the Consultancy Review Committee (CRC) in its meeting held on 23.04.2015. NCR Planning Board had also organized a workshop of the stakeholders for the purpose of seeking inputs on the draft DPR of Delhi Panipat RRTS Corridor on 22.07.2015 which received overwhelming response.

एक बार शुरू किये गये निगम के कार्यों को गति प्रदान की जाएगी और यह उम्मीद की जाती है कि परिवहन मंडल किसी भी श्रेणी के कार्य को बिना किसी देरी बिलम्ब से बनाएगा।

सावधि जमा कम्पनी,

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा (31), 73 और 74 के अन्तर्गत जनता से किसी प्रकार के जमा को आमंत्रित नहीं किया गया।

कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम का कोई कर्मचारी नहीं था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निगम के विभिन्न सचिवालयों की स्वीकृति के लिए अशंकालिक सलाहकार की सेवाओं का उपयोग किया गया है।

लेखा परीक्षा

एम/एस सारिया गुप्ता एंड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली वित्त वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल आगामी वार्षिक आम बैठक जैसे 30.09.2015 के समापन पर समाप्त हो जाएगा। वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित पारिश्रमिक लागू सेवा कर मिलाकर 25000/-रु. (पच्चीस हजार रुपये) था।

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखांकन के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का रिपोर्ट संलग्न है। उन्होंने कोई उल्लेखनीय टिप्पणी नहीं की है। तथा लेखा को योग्यता के माध्यम के बिना पारित किया है। बोर्ड ने अनुसूचियों एवं अन्य संलग्नकों का भी अनुपालन किया है जैसे लेखांकन की टिप्पणी और आयकर की गणना। बोर्ड ने आकस्मिक देयताओं के लिए टिप्पणी ले ली है जैसा कि इसके अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक यानि मैसर्स सारिया गुप्ता-कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली द्वारा योग्यता के माध्यम से जोर देने का उल्लेख नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षक का दावा:

आकस्मिक देयताओं के लिए टिप्पणी 12.1 के माध्यम से:

अ) कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के गौर अनुपालन के लिए विस्तृत रूप में शेयरों के आवंटन के मामले में सामान्य खाते और पीएस 3 फार्म नहीं भरने पर प्राप्त शेयर आवेदन राशि के संदर्भ में जुर्माना मामले में के आकस्मिक देयताएं विद्यमान हैं।

बोर्ड का जवाब:

अ का जवाब), निगम केन्द्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है और उसकी संरचना वैसे ही है। प्रत्येक अवसर पर अलग से खाता खोलना संभव नहीं है और जब भी भावी आबंटि से शेयर आवेदन की करना पड़ता है राशि प्राप्त करने की स्थिति आती है तो वह निगम की स्थापना की तारीख के सदस्य की तरह की सदस्य होगा।

Once initiated the Corporation's activity shall assume pace and it is expected that the transport infrastructure will be created as envisaged in spite of hiccups and difficulties which will be encountered during the implementation of project.

FIXED DEPOSITS

The Company has not invited any deposits from Public under section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013.

PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Corporation had no employee during the period under review. However, during the current financial year 2015-16 the services of a part time consultant has been availed for various Secretarial Compliances of the Corporation.

AUDITORS

M/s Saria Gupta and Co., Chartered Accountants, New Delhi has been appointed by the Office of The Comptroller & Auditor General of India (CAG) as Statutory Auditors of the Corporation for the financial year 2014-15 and 2015-16. Their tenure shall accordingly come to an end on the conclusion of ensuing AGM i.e on 30.09.2015. The remuneration fixed by the Board for the financial year 2014-15 was Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) plus Service Tax as applicable.

The Statutory Auditors' Report on the Accounts of the Company for the financial year ended 31st March, 2016 is enclosed. They have not made any significant comment and cleared the Accounts without qualifications.

The Board has also perused the schedules and annexures i.e notes to accounts and computation of Income Tax. The Board also took note for Contingent liabilities stated as matter of emphasis not by way of qualification as stated by Statutory Auditors i.e M/s Saria Gupta & Co., Chartered Accountants, New Delhi as hereunder:

Auditors Contention :

Via Note 12.1 for contingent liabilities :

- a) There exist a contingent liability in case penalty for non compliance of provisions of Companies Act, 2013 with respect to Share application money received in common account and non filing of Form PAS 3 in case of allotment of shares as detailed,

Boards reply :

Reply to a). The Corporation is a joint venture of Central and State Government and considering structure of same, it is not possible on each occasion to open a separate bank account, as and when there arises a situation to receive share application money from prospective allottees who shall always be members similar to members as on date of inception of Corporation.

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

निगम मेसर्स एसपीजे एंड कंपनी को सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी सचिव, नियुक्ति किया है। 31 मार्च 2016 को वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा का रिपोर्ट यहां संलग्न है। (संलग्नक-1)

विमर्श और सदस्यों की जानकारी के लिए वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से को कंपनी के सदस्यों के विचारार्थ एवं सूचनार्थ शामिल किया गया है। रिपोर्ट और उसकी अन्तर्वस्तु आत्म व्याख्यात्मक है और किसी भी योग्यता/आकलन को शामिल नहीं करता है, इसलिए प्रबंधन को इसके बाद टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिकल्पित कंपनी ने किसी भी तसीरे पक्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऋण का प्रावधान नहीं किया है। कंपनी ने व्यापार के सामान्य नियम के तहत बैंक गारंटी के अलावा अन्य कोई गारंटी नहीं दी है।

संबंधित पक्ष के लेनदेन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन नहीं की गई है।

अर्थिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं हुई। आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के कारण उत्पन्न प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं के रूप में लागू नहीं था। इस तरह निगम की गतिविधि की पहल शून्य कर्मचारियों के तथ्य के साथ युग्मित नहीं किया गया। आपका बोर्ड सुनिश्चित करता है कि एक बार निगम में परिचालन शुरू होने पर, इस आशय का अनुपालन शुरू किया जाएगा। उपायों की दक्षता साहित प्रभावकारिता आपकी कंपनी के आकार पर विचार करने के लिए प्रर्याप्त हैं। धारा 134 (3) पी ए के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान बोर्ड का बयान जिस तरीके को संकेतित करता है जिसमें बोर्ड के द्वारा औपचारिक मूल्ययांकन के अपने स्वयं के प्रदर्शन को बनाता है और इसकी समितियों और प्रदर्शन व्यक्तिगत निर्देशक मौजूदा बोर्ड के नामित निदेशकों में केवल अपने हितधारकों को शामिल किया गया।

निगमित सामाजिक दायित्व

निगम की स्थापना अगस्त 2013 में की गई और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की अवधारणा पर विचार किया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने 5.00 करोड़ रुपये से अधिक लाभ कमाया है तो पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च सीएसआर हेतु करना पड़ता है।

SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Corporation appointed M/s. S P J & Co., Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2014-15. The Secretarial Audit Report for the financial year ended 31st March, 2016 is enclosed herewith (**Annexure - I**).

The Audit report as furnished addressed to members of the Company comprises part of present Annual Report for consideration and information of members. The report and its contents are self explanatory and do not contain any qualification/observations, hence management has nothing to comment thereupon.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

During the period under review Company has not, made any loans to any third party as envisaged under Section 186 of the Companies Act, 2013. The Company has not given any guarantees other than bank guarantees in the normal course of business.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

No Related Party transactions under section 188 of the Companies Act, 2013 have occurred during the period

MATERIAL CHANGE AND COMMITMENTS

There have been no such material changes and commitments which affect the financial position of the company. Your Board is of the view that initiatives proposed and implemented out of commitments arising out of provisions of Companies Act, 2013 were not applicable in view of the fact that neither the Corporation had any activity nor there was any employee.

Your Board confirms that once the operations are initiated the compliance to this effect shall be initiated. The efficiency including efficacy of measures are adequate considering size of your Company. Pursuant to provisions of Section 134 (3) (p) a statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors is also not required to be stated considering that present Board comprises of Nominee Directors of its stakeholders only.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Corporation was established in August, 2013 and the provision of Corporate Social Responsibility (CSR) was introduced under the Companies Act, 2013 having proviso that Companies earning a profit of more than Rs. 5.00 Crore in last FY have to spend at least 2 % of average net profit of last 3 years on CSR activities.

निगम ने 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 5 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित किया है, अतः कंपनी कानून के तहत सीएसआर कमेटी का गठन करना जरूरी है। कंपनी ने समिति बनाई, लेकिन निगम को अभी सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं, अतः निगम सीएसआर निगम सीएसआर गतिविधियों में खर्च करने को बाध्य नहीं है। क्योंकि इस मद में तीन वित्तीय वर्ष के लाभ की 2 प्रतिशत राशि रखी जाती है। अतएव निगम ने सामाजिक दायित्व की दिशा में कोई राशि खर्च नहीं की है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

निगम को अभी अपना करोबार शुरू करना है कि लेकिन समीक्षाधीन अवधि में कारोबार शुरू कर सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार विस्तार के आधार पर प्रासंगिक नियमों के साथ शून्य पड़ा जाना था और फलस्वरूप प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अर्जित विदेशी मुद्रा और व्यय

आय और व्यय से वर्ष भर में किसी प्रकार से विदेशी मुद्रा का उपार्जन नहीं किया है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 197 (12) और कंपनी एक्ट 2014 के नियम 5 (2) और 5 (3) के अंतर्गत घोषणा करने योग्य कोई कर्मचारी नहीं में नहीं था।

निगमित प्रशासन और जोखिम प्रबंधन

निगम लगातार निगमित प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली को अपनाने की कोशिश करता है, जिससे कि इसके जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ कार्य में पारदर्शिता, समाकलन और जवाब देही को सुनिश्चित किया जा सके। निगम के स्वग्रहित नीतियों के साथ सामूहिक प्रावधानों को जोखिम उठाने के मुताबिक पूरी तौर से चलाएगा।

निदेशकों का उत्तरदायित्व-वक्तव्य

आपको बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के फलस्वरूप प्रमाण करता है कि

(अ) वार्षिक लेखांकन तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का महत्वपूर्ण उपक्रमों को मिलाकर उचित विवरण के साथ पालन किया गया।

(ब) निदेशकों ने इस तरह के लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और किये गये निर्णय का उचित और विवेकपूर्ण अनुमान है कि उस अवधि के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के लाभ और हानि की स्थिति का सही और निष्पक्ष अवलोकन किया है।

The Corporation, being an eligible Company i.e earning profit beyond Rs. 5.00 crores in FY ended 31.03.2016, was required to constitute Corporate Social Responsibility Committee (CSR Committee). It was compiled by the company. However, the provision related to spending money for CSR is not strictly applicable. Since amount has to be calculated based on average profit of last 3 years and as the Corporation has only seen 2 FY's post inception no amount has been spent on CSR or allied activities.

ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As Corporation is yet to commence its business, the particulars pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules were NIL and not required to be furnished.

FORIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

No foreign exchange earnings and outgo have occurred during the year.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

As there was no employee in the Corporation hence disclosure requirements under Section 197 (12) of the Companies Act, 2013, read with Rules 5 (2) and 5 (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is NIL.

CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

Irrespective of no operations, Corporation consistently endeavors to adopt the best practices of Corporate Governance so as to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning along with Risk Management. The provisions run coterminous with self assumed policies of the Corporation and shall be fully adhered to as and when the operations are initiated.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Board confirms consequent upon provisions of Section 134 of the Companies Act, 2013 that:

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(स) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा अभिलेखों के रखरखावों का यथोचित और पर्याप्त ध्यान रख था।

(द) निदेशकों एक चिंता का विषय के आधार पर वार्षिक लेखा को तैयार किया था।

(इ) निदेशकों ने लागू सभी कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रणाली को तैयार किया था और इस तरह की व्यवस्था का समुचित और प्रभावपूर्ण संचालन किया जा रहा था।

वार्षिक विवरणी का सारांश:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के 12 (1) के अनुसार आवश्यक एमजीटी-9 के वार्षिक विवरण को इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया है। संलग्नक-1

नियामकों द्वारा पारित सार्थक एवं आर्थिक आदेश

निगम को अभी भी अपना परिचालन शुरू करना है, फिर भी इस साल के दौरान भविष्य में कंपनी के विकासमान करोबार संस्थान के परिचालन को प्रभावित करने के लिए नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए कोई भी महत्वपूर्ण एवं मूर्त आदेश को पारित नहीं किया गया है। इसलिए इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

अधिनियम, 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौनल उत्पीड़न के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध और निवारण)

ऐसी गतिविधि में शामिल कोई कर्मचारी नहीं था, आपके बोर्ड के अनुसार उचित समय पर विभिन्न वैधानिक और गैर वैधानिक प्रावधानों के लागू कर संज्ञान लेने का फैसला किया गया है, इसलिए इस विषय पर कुछ भी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित की गई राशि:

आपकी कंपनी पर सात साल की अवधि में किसी प्रकार की अभुक्त या लावारिश धनराशि नहीं है। अगस्त, 2013 में निगम के निगमन की तारीख को ध्यान में रखने के कारण लागू नहीं किया है। इसके बाद निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोषण (आईईपीएफ) को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं थी।

- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ABSTRACT OF ANNUAL RETURN:

As required pursuant to section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of annual return in MGT 9 as a part of this Annual Report attached herewith as **Annexure -1**

SIGNIFICANT & MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS

The Corporation is yet to initiate its operations, yet it confirms that during the year no significant and material orders has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future. Hence there is nothing to be stated on this count.

DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Corporation has no employee as no activity has been initiated, however your Board has decided to take cognizance of applicability of various statutory/non statutory provisions at appropriate time, hence presently nothing is required to be furnished on this count.

TRANSFER OF AMOUNTS TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND :

Your Company did not have any funds lying unpaid or unclaimed for a period of seven years. Considering date of incorporation of the company being August, 2013, the provisions are not applicable. Hence there were no funds which were required to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) .

धारा 134 (3) (घ) के अनुसार प्रमाणीकरण

आपका बोर्ड आगे बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल होने की पुष्टि करता है कि:?

श्री राजीव गाबा	अध्यक्ष
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	प्रबंधक निदेशक
श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	निदेशक
श्री के के अग्रवाल	निदेशक
श्री सी एस राजन	निदेशक
श्री देपीन्दर सिंह धेसी	निदेशक
श्री के के शर्मा	निदेशक
श्री के रविन्दर नायक	निदेशक

आपका बोर्ड आगे इस बात की पुष्टि करता है कि:

बोर्ड गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित करता है क्योंकि वे नामित हितधारकों से संबंधित हैं। इसके प्रश्नात कंपनी अधिनियम 2013 में अनुबद्ध विशेष जानकारी/प्रकाशन आदि से संबंधित संपूर्णता एवं प्रासंगोचित विशेषज्ञता और अनुभव एवं अन्य उसी रूप में लागू नहीं होता है।

बोर्ड की बैठक

वित्तीय में निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तारीकारें को चार बैठकें आयोजित की गई है।

1.09.04.2015

2. 31.07.2015

3. 15.09.2015

4.08.01.2016

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

अनुपालन तंत्र के हिस्से के रूप में, अपना बोर्ड दिखाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विभिन्न खुलासे और आवश्यक रूप रचनाओं का पालन किया जाएगा और जब निगम के संचालन शुरू किया जा रहा है, इसलिए इस विषय पर विवरण प्रस्तुत किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नियंत्रित कंपनी

आपके कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी नहीं है।

नकदी प्रवाह का विश्लेषण

कम्पनी ने वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन के मानकों के अनुसार तैयार किया है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट के अंश को लेखा परीक्षाओं के रिपोर्ट भी उसी रूप में तैयार की गई।

CONFIRMATION PURSUANT TO SECTION 134(3)(d)

Your Board further confirms that its board comprises of below stated persons:

Sh. Rajiv Gauba	Chairman
Sh. Durga Shanker Mishra	Managing Director
Sh. Bijay Kumar Tripathi	Director
Sh. K. K. Aggarwal	Director
Sh. C. S. Rajan	Director
Sh. Depinder Singh Dhesi	Director
Sh. K. K. Sharma	Director
Sh. K. Ravinder Naik	Director

Your Board further confirms that :

The Board comprises of Non-Executive Directors, as they are nominee of concerned stakeholders, hence the particulars / disclosures etc. required in regard to integrity and relevant expertise and experience as stipulated in Companies Act, 2013 are not applicable.

BOARD MEETINGS

During the Financial year ended March 31, 2016, the Board of Directors met four (4) times on:

1. 09.04.2015,
2. 31.07.2015,
3. 15.09.2015,
4. 08.01.2016.

INTERNAL CONTROL SYSTEM & ITS ADEQUACY

As part of compliance mechanism, your Board is of the view that various disclosures and compositions as required under Companies Act, 2013 shall be adhered as and when the operations of Corporation are initiated, hence there is nothing to be furnished on this count.

SUBSIDIARIES

Your Company does not have any subsidiary.

CASH FLOW ANALYSIS

The financial statements were prepared by the Company in accordance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the same together with the Auditors Report thereof form part of the Annual Report.

निदेशक और केएमपी

वर्ष 2015-16 के दौरान निम्न लिखित निदेशकों के बीच परिवर्तन किए गए।

- (अ) श्री राजीव गाबा सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय बोर्ड में 25 अप्रैल 2016 को शामिल हुए। श्री मधुसूदन प्रसाद पूर्व सचिव (शहरी विकास) बोर्ड में 2 फरवरी 2015 को शामिल हुए वाइस, श्री शंकर अग्रवाल पूर्व सचिव (शहरी विकास) शहरी विकास मंत्रालय भी बोर्ड में शामिल हुए।
- (ब) श्री के.के. शर्मा मुख्य सचिव, जीएनटीडी के वाइस श्री डी.एम. सपोलिया मुख्य सचिव (जीएनडीटी) शामिल हुए।
- (स) 11 मार्च 2015 को श्री दुर्गाशंकर मिश्रा अतिरिक्त सचिव (शहरी विकास) बोर्ड में शामिल हुए वाइस श्री सी.के. खेतान, पूर्व संयुक्त सचिव (यू.टी.), शहरी विकास मंत्रालय, शामिल हुए वाइस श्री संजीव कुमार लोहिया, पूर्व ओएडी (यूटी) एवं पूर्व संयुक्त सचिव अधिकारी, शहरी विकास शामिल हुए।
- (द) श्री बिजय कुमार त्रिपाठी, सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड शामिल हुए वाइस श्रीमती नैन जयासीलन, पूर्व सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड शामिल हुए।
- (इ.) श्री के. रवीन्द्र नाथ, परिवहन आयुक्त उ.प्र. बोर्ड में नामित किए गए, श्री आलोक रंजन के स्थान पर।
- (एफ) श्री सी.एस. राजन, नामित निदेशक, राजस्थान सरकार, जिन पर धारा 167 के प्रावधान अमंत्रित रहे, उनका कार्यालय 12 माह तक रिक्त रहा। बोर्ड को इसकी जानकारी दी गई तथा संबंधित धारकों को भी बताया गया। निगम को राजस्थान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

बोर्ड ने वैध रूप से हितधारकों के बीच विश्वास स्थापित किया।

पावती

रिकार्ड पर बोर्ड ने, विभिन्न मंत्रालयों के लंबे सहयोग, भारत सरकार की एजेंसियों और विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआर पीबी के अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

बोर्ड यह स्वीकार करता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षक, सलाहकार और तकनीकी विशेषज्ञों के निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

अधोहस्ताक्षरी
(बिजय कुमार त्रिपाठी)
निदेशक एनसीआरटीसी
आइएन : 02943220

अधोहस्ताक्षरी
(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.09.2016

DIRECTORS AND KMP

During the year 2015-16 The following changes among the Directors took place during the year:

- a. Shri Rajiv Gauba, Secretary (UD), MoUD joined the Board on 25th April, 2016, vice Shri Madhusudan Prasad, former Secretary (UD), MoUD who had joined the Board on 2nd February, 2015 vice Shri Shankar Aggarwal, former Secretary (UD), MoUD
- b. Shri K K Sharma, Chief Secretary, GNCTD joined the Board vice Shri D.M. Spolia, Chief Secretary, GNCTD.
- c. Shri Durga Shanker Mishra, Additional Secretary (UD), MoUD joined the Board on 11th March, 2015 vice Shri C. K. Khaitan, former Joint Secretary (UT), MoUD who had joined vice Sh. Sanjeev Kumar Lohia, former OSD (UT) & Ex Officio Joint Secretary, MoUD.
- d. Shri Bijay Kumar Tripathi, Member Secretary, National Capital Region Planning Board joined the Board vice Smt. Naini Jayaseelan, former Member Secretary, National Capital Region Planning Board.
- e. Shri. K Ravinder Naik, Transport Commissioner UP has been nominated on Board in lieu of Sh. Alok Ranjan
- f. Mr C S Rajan, Nominee Director, Govt of Rajasthan whereupon invoking provisions of Section 167 his office stand vacated as period of 12 months stands completed post his appointment of Board of Corporation. The Board was apprised that the fact of said vacation was apprised to respective stakeholder and Corporation is yet to receive any word from Govt of Rajasthan

The Constitutes of Board is as per the understanding amongst stakeholders.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board places on record their gratitude for the invaluable guidance, continued co operation and support extended by Ministry of Urban Development, Ministry of Railways and other Ministries, Departments and agencies of Govt. of India, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Govt. of Haryana, Govt. of Rajasthan, Govt. of U.P. and NCRPB.

The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors, consultants and technical experts for their continued support and co-operation.

For National Capital Region Transport Corporation Ltd.

Place: New Delhi
Date: 07.09.2016

Sd/-
(BIJAY KUMAR TRIPATHI)
Director, NCRTC
DIN:02943220

Sd/-
(Vinay Kumar Singh)
Managing Director
DIN: 06497700

सचिवीय लेखा परीक्षा

31.3.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी के लिए
9 नियम और परिश्रमिक कर्मिकद्व 2014 के संदर्भ में

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा परिवहन निगम लि.

नई दिल्ली

सीआई एन : यू 62200 डीएल 2013जीओआई 256716

1. निगम पर लागू संविधान प्रावधानों के तहत हमने सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन किया है। यह लेखा परीक्षा हमें दिए गए कॉपोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालन के समुचित मूल्यांकन के आधार पर की गई है और तदनुसार हमारी राय प्रस्तुत की गई है।
2. हमने निगम द्वारा प्रदान किए गए रजिस्टर,रिकार्ड्स, किताबें, कागजात, मिनट्स बुक, पफार्म और दाखिल की गई रिटर्न और अन्य मांगे गए रिकार्ड्स के आधार पर 31-3-2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षण किया है, जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं:
 - (अ) कंपनी एक्ट, 2013 (बाद में एक्ट कहा गया है) और नियम, जो विभिन्न सहायक एक्ट्स के प्रावधानों के लिए बनाए गए हैं, निगम को अभी कोई वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना है, इसलिए वर्तमान में किसी विशेष एक्ट्स के तहत संचालित नहीं है, इस संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।
 - (ब) निगम का झापन और आर्टिकल ऑपफ ऐसासोसिशन
3. हमने निगम द्वारा प्रदान किए गए किताबों, कागजातों, मिनट्स बुक्स, पफार्म और दाखिल की गई रिटर्न और अन्य रिकार्ड्स का सत्यापन किया और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान निगम के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में निगम के समीक्षाधीन अवधि में (31-03-2016 की सम्पत्ति) सांविधित प्रावधानों का पालन किया है, जिसकी सूचना निगम है:

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2016

Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and

Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014

To

The Members

National Capital Region Transport Corporation Limited

New Delhi

CIN: U60200DL2013GOI256716

1. We have conducted, the Secretarial Audit of compliance of applicable statutory provisions as applicable on the Corporation. Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and accordingly expressing our opinion thereupon.
2. We have examined the registers, records, books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records as required to be maintained by the Corporation for the year ended 31.03.2016 according to the provisions of :
 - i. The Companies Act, 2013 (hereinafter referred as 'Act') and Rules made there under and various allied acts warranting compliance; The Corporation is yet to initiate any commercial operations, hence at present it is not governed by any special acts, hence nothing is stated on this count.
 - ii. The Memorandum and Articles of Association of the Corporation;
3. Based on our verification of books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation and also the information provided by the Corporation and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit. We hereby report that in our opinion, the Corporation has during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2016 complied with various statutory provisions listed hereunder:

- i. विभिन्न वैधानिक रजिस्टर और दस्तावेजों और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां बनाने के रख रखाव ।
- ii. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा मांगी गई पफार्म, रिटर्न्स दस्तावेजों और प्रस्तावों को दाखिल किया ।
- iii. अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार दस्तावेजों की की सेवा ।
- vi. बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों की सूचना ।
- vii. निदेशकों और निदेशक समितियों की बैठकें ।
- viii. वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर 2015 को आयोजन की सूचना
- ix. बोर्ड बैठक, समितियों बैठकों और आम बैठक की कार्यवाही के मिनिट्स
- x. जहां आवरण हुआ निदेशक मंडल और निदेशक समिति का अनुमोदन निदेशक मंडल और निदेशक समितियों का गठन
- xi. सांविधिक लेख परीक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक
- xii. पंजीकृत कार्यालय और कारपोरेशन के नाम का प्रकाशन
- xii. निदेशक मंडल की रिपोर्ट
- xv. निगम के धन का निवेश

सामान्यतः सभी अन्य लागू 'कानूनी प्रावधानों और नियमों के तहत

निगम का समुचित बोर्ड प्रयाशों तक अनुपालन—तंत्रा है परिक्षेप के स्थान पर, रिपोर्टिंग के मामले में रिपोर्टिंग किया । द इन्स्टीट्यूट ऑफ कारपोरेशन सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों को लागू किया ।

- i. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- ii. forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;
- iii. service of documents by the Corporation on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- iv. notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- v. meetings of Directors and Committees of Directors;
- vi. notice and convening of Annual General Meeting held on 30th September 2015;
- vii. minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee Meetings and General Meeting;
- viii. approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, wherever required;
- ix. constitution of the Board of Directors, Committees of Directors;
- x. appointment and remuneration of Statutory Auditors;
- xi. transfer of Corporation's shares, issue and allotment of shares;
- xii. Registered office and publication of name of the Corporation;
- xiii. report of the Board of Directors;
- xiv. investment of Corporation's funds;
- xv. generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;

The Corporation has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter and also in line with applicable clauses of the Secretarial Standards issued by The Institute of Corporation Secretaries of India (ICSI). The Corporation has, in our opinion, proper

बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्रा और लागू वैधानिक प्रावधानों के साथ पालन किया गया है। निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ज्ञापन, नियम अधिनियम, विनयम, निर्देश मानकों आदि के रूप में अधिनियम 2013 के प्रावधानों और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित है।

4. निगम ने अभी किसी भी गतिविधि को शुरू नहीं किया है पिछरे भी हम रिपोर्ट करते हैं।
- i. निर्देशकों ने अनुबंध और व्यवस्था के हितों के सामान्य प्रकटीकरण के रूप में आवश्यकताओं और सरोकारों के साथ अनुपालन किया है। ;यद्यपि वहां कोई लेनदेन अनुबंध के तहत नहीं किया।
- ii. निगम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्वीकृत लेने के लिए बाध्य नहीं था, अतः कुछ नहीं किया गया।
- iii. कंपनी अधिनियम के तहत एवं नियमों-दिशा निर्देशों के तहत आलोच्य वर्ष के दौरान कोई अभियोजना या कारण बताओं नोटिस नहीं दिया गया।
5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-पररीक्षा अविध के दौरान निपक्षिय थी अतः विशेष प्रकृति के लेनदेन का वारंटी के साथ अनुपालन, कोई बड़ी रणनीतिक कार्यवाही ;कंपनी की कार्यवाही से निकलती है या अन्यता नहीं है।

स्थान: नई दिल्ली

तिथि : 01 / 09 / 2016

जतिन गुप्ता
पार्टनर
एसडी /
कृते, एसपीजे कं.
कंपनी सचिव सीपी नं. 5236
एफसीएस नं. 5651

Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act, rules, regulations, guidelines, standards, etc., mentioned above as stipulated under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made under the Act, and the Memorandum and Articles of Association of the Corporation.

4. The Corporation has not initiated any activity, yet we state that:
- i. The Directors have complied with the requirements as to general disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements (though there was no transaction as to contract/arrangement), shareholdings and directorships in other Companies and interest in other entities (though the Board comprises of Nominee Directors only);
 - ii. the Corporation was not required to seek approvals under various provisions of the Act, hence nothing is been stated ;
 - iii. there was no prosecution initiated against or show cause notice received by the Corporation during the year under review under the Companies Act and rules, regulations and guide-lines under these Acts.
5. We further report that during the audit period the Corporation didn't initiated any operations, hence no major strategic action warranting compliance of specific/special nature (originating either on Corporation's action or otherwise) was required to be undertaken.

Place: New Delhi
Date:01/09/2016

Jatin Gupta
Partner

Sd/-

For SPJ & Co.,
Company Secretaries
CP No.: 5236
FCS No.: 5651

फर्म नं. एमजीटी 9
वार्षिक विवरण का सारांश
31.03.2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 भी धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) अधिनियम 2014 के तहत

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण		
1	सीआईएन	U60200DL2013GOI256716
2	पंजीयन तिथि	21/08/2013
3	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
4	कंपनी की कैटेगरी/सब कैटेगरी	लिमिटेड कंपनी/केन्द्रीय सरकार कंपनी
5	रजिस्टर्ड ऑफिस का पता	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बार्ड, कोर IV बी प्रथम तल इंडिया हेबिटेड सेन्टर लोदी लोड नई दिल्ली-110003
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध	असूचिबद्ध
7	नाम, पुत्र, अन्य विवरण यदि कोई है रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटे	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियां

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम व विवरण	एनआईसी कोड	टर्नओवर प्रतिशत
1			

III. अन्य उपकंपनियों का विवरण

SN		सीआईएन/ जीएलएन	होल्टिंग/सबसाइडरी/ एसोसिएट	शेयर प्रतिशत	लागू धारा
1	N.A				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) कैटेगरी वाइज शेयर होल्डिंग

Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयर संख्या 1 अप्रैल 2015 को				वर्ष के अंत में शेयर संख्या 31 मार्च 2016 को				वर्ष के दौरन परिवर्तन प्रतिशत
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
a) व्यक्तिगत एचयूएफ			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) केंद्रीय सरकार		2,251,250	2,251,250	31.05%		5,000,000	5,000,000	50.00%	122.10%
c) राज्य सरकारें		5,000,000	5,000,000	68.95%		5,000,000	5,000,000	50.00%	0.00%
d) बॉडीज कार्पो.			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
e) बैंक/एफ आई			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
f) अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
सब टोटल (ए) (1)	-	7,251,250	7,251,250	100.00%	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	37.91%

(2) विदेशी									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:		
1	CIN	U60200DL2013GOI256716
2	Registration Date	21/08/2013
3	Name of the Company	NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED
4	Category/Sub-category of the Company	Company limited by Shares/Union Govt company
5	Address of the Registered office & contact details	National Capital Region Planning Board, Core-IV B First Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road new delhi New Delhi DL 110003 IN
6	Whether listed company	Unlisted
7	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	N.A

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) **Category-wise Share Holding**

[illegible]

a) (अ) प्रवासी भारतीय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) (ब) अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) बॉडीज कॉर्प			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
उपयोग (ए) (2)	-	-	-	0.00%	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	37.91%
योग (ए)	-	7,251,250	7,251,250	100.00%	-				

B. पब्लिक शेयर									
1. संस्थाएं									
a) म्यूचुअल फंड			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) बैंक / एफआई			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) केन्द्रीय सरकार			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) राज्य सरकारें			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
e) वेंचर कैपिटल फंड			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
f) बीमा कंपनियां			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
g) फाइन्स			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
h) फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
i) अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
उप-योग (बी) (1)	-	-	-	0.00%	-		-	0.00%	0.00%
2. गैर-संस्थाएं									
a) बॉडीज / कॉर्पो									
i) भारतीय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ii) ओवरसीज			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स होल्डिंग नोमिनल शेयर कैपिटल 1 लाख तक			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स होल्डिंग नोमिनल शेयर कैपिटल, 1 लाख रु. तक			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
प्रवासी			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
विदेशी नागरिक			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
क्लियरिंग मम्बर्स			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ट्रस्ट			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
फॉरेन बाडीज डीआर			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
उप-योग (बी) (2)	-	-	-	0.00%	-		-	0.00%	0.00%
योग	-	-	-	0.00%				0.00%	0.00%
शेयर हल्ड जीडीआर और एडीआर के लिए कै. शेयर									
महायोग (ए+बी+सी)	-	7,251,250	7,251,250	100.00%	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	37.91%

a) NRI Individuals			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Other Individuals			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) Bodies Corp.			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) Any other			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub Total (A) (2)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
TOTAL (A)	-	7,251,250	7,251,250	100.00%	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	37.91%

B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Banks / FI			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) Central Govt			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
d) State Govt(s)			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
e) Venture Capital Funds			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
f) Insurance Companies			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
g) FIs			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
h) Foreign Venture Capital Funds			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
i) Others (specify)			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ii) Overseas			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
b) Individuals							-	0.00%	0.00%
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
c) Others (specify)									
Non Resident Indians			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Overseas Corporate Bodies			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Foreign Nationals			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Clearing Members			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Trusts			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Foreign Bodies - D R			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
Total Public (B)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
Grand Total (A+B+C)	-	7,251,250	7,251,250	100.00%	-	10,000,000	10,000,000	100.00%	37.91%

(ii) प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग

क्र०	शेयर होल्डरों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			शेयर होल्डिंग में प्रतिशत बदलाव
		शेयर संख्या	कंपनी का टोटल प्रतिशत	गिरवी रखे शेयर का प्रतिशत	शेयर संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	गिरवी रखे शेयर का प्रतिशत	
1		1750000			2,250,000			28.57%
2	रेल मंत्रालय	1,250			2,250,000			
3	राजस्थान सरकार	1,250,000			1,250,000			0.00%
4	उत्तर प्रदेश सरकार	1,250,000			1,250,000			0.00%
5	हरियाणा सरकार	1,250,000			1,250,000			0.00%
6	राष्ट्रीय दिल्ली राजधानी सरकार	1,250,000			1,250,000			0.00%
7	एनसीआरबीपी	500,000			500,000			0.00%

प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हो उल्लेख करें)

क्र०	विवरण	दिनांक	कारण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		कमुटेलिव शेयर होल्डिंग वर्ष के दौरान	
				शेयर संख्या	कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर संख्या	कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	1st April 2015		7,251,250	0.00%		0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	9th April 2015	Allot	2,248,750	6.90%		0.00%
		15th September 2015	Allot	500,000	0.00%		0.00%
					0.00%		0.00%
				10,000,000	0.00%		0.00%

टॉप-10 शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग पोर्टन
(निदेशक, प्रोमोटर एवं जीडीआर एवं एडीआर होल्डर्स के अतिरिक्त)

क्र०	प्रत्येक टॉप शेयर होल्डिंग के लिए	दिनांक	कारण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		कमुलेटिव शेयर होल्डिंग वर्ष के दौरान	
				शेयर संख्या	कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर संख्या	कुल शेयर का प्रतिशत

(ii) Shareholding of Promoter

SN	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	Ministry of Urban Development	1750000			2,250,000			28.57%
2	Ministry of Railways	1,250			2,250,000			
3	Government of Rajasthan	1,250,000			1,250,000			0.00%
4	Government of Uttar Pradesh	1,250,000			1,250,000			0.00%
5	Government of Haryana	1,250,000			1,250,000			0.00%
6	Government of NCT of Delhi	1,250,000			1,250,000			0.00%
7	NCRBP	500,000			500,000			0.00%

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SN	Particulars	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
	At the beginning of the year	1st April 2015		7,251,250	0.00%		0.00%
	Changes during the year	9th April 2015	Allot	2,248,750	6.90%		0.00%
		15th September 2015	Allot	500,000	0.00%		0.00%
					0.00%		0.00%
	At the end of the year			10,000,000	0.00%		0.00%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders*(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):*

SN	For each of the Top 10 shareholders	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares

1	नाम				0.00%		0.00%
	वर्ष के आरंभ में				0.00%		0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%		0.00%
	वर्ष के अंत में						
2	नाम				0.00%		0.00%
	वर्ष के आरंभ में				0.00%		0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%		0.00%
	वर्ष के अंत में						

V. ऋण

ब्याज सहित कंपनी का ऋण बकाया (भुगतान के कारण)

(रु./लाख)

विवरण	सुरक्षित कर्ज छोड़कर जमा	असुरक्षित कर्ज	जमा	कुल कर्ज
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण				
i) मूल राशि				-
ii) बकाया ब्याज				-
iii) ब्याज उपर्जित किंतु शेष नहीं				-
योग (i+ii+iii)				-
ऋण में परिवर्तन वित्तीय वर्ष में				
* जोड़े				-
* घटाए				-
विशुद्ध परिवर्तन				-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण				
i) मूल राशि				-
ii) बकाया ब्याज				-
iii) ब्याज उपर्जित किंतु शेष नहीं				-
योग (i+ii+iii)				-

VI. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन-अधिकारियों का वेतन

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र०	पारिश्रमिक के ब्यूरे	नाम	पद	एमडी/डब्ल्यू टी डी/ मैनेजर का नाम	कुल राशि (रु./लाख)
1	सकल वेतन				-
	(a) धारा 17 (1) के तहत वेतन प्रावधान				-
	Act, 1961 धारा 17 (1) के तहत वेतन प्रावधान				-
2	स्टॉक ऑप्शन				-
3	स्वीट इक्विटी				-
4	कमीशन				-
	लामांश प्रतिशत				-
	अन्य				-
	योग				-
5	अन्य/कृपया उल्लेख करें				-
	योग (A)				-
	अधिनियम के अनुसार				-

1	Name					
	At the beginning of the year				0.00%	0.00%
	Changes during the year				0.00%	0.00%
	At the end of the year				0.00%	0.00%
2	Name					
	At the beginning of the year				0.00%	0.00%
	Changes during the year				0.00%	0.00%
	At the end of the year				0.00%	0.00%

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(Amt. Rs./Lacs)

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount				-
ii) Interest due but not paid				-
iii) Interest accrued but not due				-
Total (i+ii+iii)				-
Change in Indebtedness during the financial year				
* Addition				-
* Reduction				-
Net Change				-
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount				-
ii) Interest due but not paid				-
iii) Interest accrued but not due				-
Total (i+ii+iii)				-

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

SN.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager		Total Amount (Rs/Lac)
	Name			
	Designation			
1	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961			-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961			-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961			-
2	Stock Option			-
3	Sweat Equity			-
4	Commission			-
	- as % of profit			-
	- others, specify			-
5	Others, please specify			-
	Total (A)			-
	Ceiling as per the Act			-

ब. अन्य निदेशकों का वेतन

क्र०	वेतन विवरण	निदेशकों का नाम			Total Amount
					(Rs/Lac)
1	स्वंत्र निदेशक				
	बोर्ड मीटिंग शुल्क				-
	कमिशन				-
	अन्य				-
	योग (1)	-	-	-	-
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				-
	बोर्ड मीटिंग शुल्क				-
	कमीशन				-
	अन्य				-
	योग (2)	-	-	-	-
	योग (बी)=(1+2)	-	-	-	-
	योग प्रबंधकीय वेतन				-
	अधिनियम द्वारा नियंत्रित				

स. एमडी/मैनेजर/डिप्टी के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का वेतन

क्र०	वेतन विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी के नाम			योग राशि
	नाम				(Rs/Lac)
	पद	सीईओ	सीएफओ	सीएस	
1	सकल वेतन				
	(अ)आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के अनुसार वेतन				-
	(ब)17 (2) के अनुसार अनुलाभ				-
	(स)इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के वेतन लाभांश				-
2	स्टॉक ऑप्शन				-
3	स्वीट इक्विटी				-
4	कमीशन लाभांश प्रतिशत अन्य				-
5	अन्य				
	योग	-	-	-	-

B. Remuneration to other Directors

SN.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
					(Rs/Lac)
1	Independent Directors				
	Fee for attending board committee				-
	Commission				-
	Others, please specify				-
	Total (1)	-	-	-	-
2	Other Non-Executive Directors				-
	Fee for attending board committee				-
	Commission				-
	Others, please specify				-
	Total (2)	-	-	-	-
	Total (B)=(1+2)	-	-	-	-
	Total Managerial Remuneration				-
	Overall Ceiling as per the Act				

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

SN.	Particulars of Remuneration	Name of Key Managerial Personnel			Total Amount
		Name			(Rs/Lac)
		Designation	CEO	CFO	CS
1	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961				-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-				-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961				-
2	Stock Option				-
3	Sweat Equity				-
	Commission				
4	- as % of profit				-
	- others, specify				-
5	Others, please specify				-
	Total	-	-	-	-

VII. जुर्माना / दंड / अपराधों का समझौता :					
प्रकृति	डिपार्ट मेंट एंड कंपनी	संक्षिप्त वर्णन	जुर्माना / दंड / कंपाउंडिंग फीस लागू	अथॉरिटी (आरडी/एन सीएलटी/कोर्ट)	अपील/यदि कोई है (विवरण दें)
(अ) कंपनी					
पैनलेटरी					
दंड					
समझौता					
(ब) डायरेक्टर्स					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					
(स) अन्य अधिकारी (डिफॉल्ट)					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:					
Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees Imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, If any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट

		(रु. में राशि)	(रु. में राशि)
	टिप्पणी	31.03.2016 के रूप में	31.03.2015 के रूप में
इक्विटी और देयताएं			
अंशधारी निधि	3	1,000,000,000	725,125,000
	4	79,668,503	33,844,305
		1,079,668,503	758,969,305
शेयर आवेदन की लंबित आंबटन राशि			
	5	-	224,875,000
गैर मौजूदा देनदारियां			
मौजूदा देनदारियां			
अल्पकालीन प्रावधान	6	24,384,273	16,000,000
अन्य मौजूदा देनदारियां	7	215,953	50,972
		24,600,226	240,925,972
		1,104,268,729	999,895,277
कुल			
परिसम्पत्तिया			
अस्थगति कर की परिसम्पत्तियां			
	8	864,980	1,246,520
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
नकदी और बैंक बैलेंस	9	1,079,490,621	993,323,203
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	10	23,913,128	5,325,554
		1,104,268,729	999,895,277
		1,104,268,729	999,895,277

टिप्पणी 1 से 15 इन वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।
टिप्पणी के साथ वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।
हमारी रिपोर्ट की शर्तें तारीख के साथ संलग्न है।

सरिया गुप्ता एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफ.आर. संख्या-003168 एन

के लिए और बोर्ड की ओर से

सुमित गुप्ता
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या 513321

(प्रबन्धक निदेशक)
डी.आई.एन. 06497700

(निदेशक)
डी.आई.एन. 02943220

दिनांक :
स्थान : नई दिल्ली

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED**Balance Sheet as at 31st March 2016**

		(Amount in Rs.)	(Amount in Rs.)
	Notes	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
<u>Shareholders' funds</u>			
Share capital	3	1,000,000,000	725,125,000
Reserves and Surplus	4	79,668,503	33,844,305
		<u>1,079,668,503</u>	<u>758,969,305</u>
 Share Application Money Pending Allotment	 5	 -	 224,875,000
 <u>Non Current Liabilities</u>			
<u>Current liabilities</u>			
Short Term Provisions	6	24,384,273	16,000,000
Other Current Liabilities	7	215,953	50,972
		<u>24,600,226</u>	<u>240,925,972</u>
Total		<u>1,104,268,729</u>	<u>999,895,277</u>
 <u>ASSETS</u>			
<u>Non-Current Assets</u>			
Deferred Tax Assets	8	864,980	1,246,520
 <u>Current Assets</u>			
Cash and bank balances	9	1,079,490,621	993,323,203
Short Term Loans and Advances	10	23,913,128	5,325,554
		<u>1,104,268,729</u>	<u>999,895,277</u>
		<u>1,104,268,729</u>	<u>999,895,277</u>

Notes 1 to 15 form an integral part of these financial statements

The accompanying Notes are an integral part of the Financial Statements.

In terms of our Report of even date attached.

**FOR SARIA GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. NO. 003168N**

For and on behalf of the Board

**SUMIT GUPTA
(PARTNER)
M. NO. 513321**

(Managing Director)
DIN:06497700

(Director)
DIN02943220

Date :

Place : New Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

		(राशि रु. में)	(राशि रु. में)
	टिप्पणी	31.03.2016 को	31.03.2015 को
राजस्व			
अन्य आय	11	73,780,351	50,536,982
<u>कुल राजस्व</u>		<u>73,780,351</u>	<u>50,536,982</u>
व्यय			
अन्य व्यय	12	1,698,762	96,765
<u>कुल व्यय</u>		<u>1,698,762</u>	<u>96,765</u>
उपबाँट स्वरूप, असाधारण आइटम एवं आयटम व टैक्स पूर्व लाभ (हानि)			
अवधि पूर्व आइटम्स		72,081,589	50,440,217
लाभ (हानि) टैक्सपूर्व	13	150,000	-
		71,931,589	50,440,217
<u>व्यय कर</u>			
मौजूद कर		24,384,273	16,000,000
स्थगित कर		381,540	415,510
वर्ष पूर्व कर		1,341,578	
<u>वर्ष भर का लाभ</u>		<u>45,824,198</u>	<u>34,024,707</u>
<u>रक्विटी प्रति शेयर आय</u>			
आधारभूत		4.71	15.40
तनूकृत		4.71	15.40

कृत, सरिया गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकारकृते
एफ आर क्रं. 003168N

बोर्ड, एवं बोर्ड की ओर से

सुमित गुप्ता
(पार्टनर)

(प्रबंध निदेशक) (निदेशक)
डीआईएन 06497700 डीआईएन 02943220

सदस्यता संख्या

दिनांक :
स्थान: नई दिल्ली

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED**Statement of Profit and Loss for the year ended on 31st March 2016**

		(Amount in Rs.)	(Amount in Rs.)
	Notes	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
<u>Revenue</u>			
Other Income	11	73,780,351	50,536,982
<u>Total Revenue</u>		73,780,351	50,536,982
<u>Expenses</u>			
Other Expenses	12	1,698,762	96,765
<u>Total Expenses</u>		1,698,762	96,765
Profit/(Loss) Before Exceptional, Extraordinary Items, Prior Period items & Tax		72,081,589	50,440,217
Prior Period Items	13	150,000	-
Profit/(Loss) Before Tax		71,931,589	50,440,217
<u>Tax Expenses</u>			
Current Tax		24,384,273	16,000,000
Deferred Tax		381,540	415,510
Earlier Year Taxes		1,341,578	
<u>Profit for the Year</u>		45,824,198	34,024,707
<u>Earnings per equity share</u>			
Basic		4.71	15.40
Diluted		4.71	15.40

**FOR SARIA GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. NO. 003168N**

For and on behalf of the Board

**SUMIT GUPTA
(PARTNER)
M. NO. 513321**

(Managing Director)
DIN:06497700

(Director)
DIN02943220

Date :
Place : New Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा परिवाहन निगम
(31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण)

विवरण	For the Year ended 31st March 2016		For the Year ended 31st March 2015	
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	71,931,589		50,440,217	
करपूर्व विशुद्ध लाभ / (हानि)	-		-	
समायोजन हेतु	-		-	
मूल	-		-	
ब्याज व्यय	-		-	
वापसी राशि	71,931,589		50,440,217	
ब्याज आय				
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	(309,924,479)		(585,203,221)	
कार्यशील पूंजी में मूवमेंट				
कमी / (वृद्धि) मौजूदा परिसंपत्तियों में	(18,587,574)		(6,133,435)	
कमी / (वृद्धि) ऋण एवं एडवांस में एलटी				
कमी / (वृद्धि) ऋण एवं एडवांस में-शॉर्ट टर्म				
कमी / (वृद्धि) स्टॉक में				
कमी / (वृद्धि) व्यापारिक देय में	8,384,273		16,000,000	
कमी / (वृद्धि) अन्य लंबी अवधि देनदारी में	164,981		28,500	
कमी / (वृद्धि) लम्बी अवधि प्रावधान में	(248,031,210)		(524,867,939)	
कमी / (वृद्धि) लघु अवधि प्रावधान में	25,725,851	(273,757,061)	16,000,000	(540,867,939)
(कमी) मौजूदा देनदारी		(273,757,061)		(540,867,939)
परिचालन गतिविधियों से (प्रयुक्त) नकदी				
हटाएँ : कर भुगतान				
परिचालन गतिविधियों से (प्रयुक्त) विशुद्ध नकदी				
(बी) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्ती का क्रय / विक्रय निवेश में क्रय / विक्रय				
प्राप्त ब्याज				
निवेश गतिविधियों से (प्रयुक्त) विशुद्ध नकदी				
(स) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी में (कमी) / वृद्धि	274,875,000		724,575,000	
शेयर आवेदन राशि (डिविडेंड एलॉटमेंट) में (कमी) / वृद्धि	(224,875,000)		(334,700,000)	
लघु अवधि ऋण में (कमी) / वृद्धि				
दीर्घ अवधि ऋण में (कमी) / वृद्धि		50,000,000		389,875,000
वित्तीय गतिविधियों से (प्रयुक्त) विशुद्ध नकदी		50,000,000		389,875,000
(द) विशुद्ध (कमी) नकदी और नकदी समतुल्य (कए+बी+सी)		(223,757,061)		(150,992,939)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		223,957,061		374,950,000
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		200,000		223,957,061
टिप्पणी:		(223,757,061)		(150,992,939)
नकदी एवं नगदी समुल्य शामिल है				
नकदी				
शेड्यूल्ड बैंक में बैलेंस				
करेंट एकाउंट (विशुद्ध)				
एफडीआर के रूप में		200,000		223,957,061
नकदी एवं नकदी समतुल्य		200,000		223,957,061

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते, सारिया गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
(रजिस्ट्रेशन नं. 513321)

सुमित गुप्ता
पाटर्नर
मेम्बर्सशिप नं. 513321

कृत, बोर्ड की ओर से

(प्रबंध निदेशक) (निदेशक)
डीआईएन : 06497700 डीआईएन 2943220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04-08 2016

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED
CORE IV B, LODHI ROAD, NEW DELHI

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

Particulars	For the Year ended 31st March 2016		For the Year ended 31st March 2015	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Net profit /(loss) before taxation	71,931,589		50,440,217	
Adjustments for :-				
Depreciation and amortisation expense	-		-	
Interest expense	-		-	
Amount written back	-		-	
Interest income				
Operating profit before working capital changes	71,931,589		50,440,217	
Movement in working capital :-				
Decrease/(increase) in Current Assets	(309,924,479)		(585,203,221)	
Decrease/(increase) in loans and advances - LT				
Decrease/(increase) in loans and advances - Short Term	(18,587,574)		(6,133,435)	
Decrease/(increase) in Stocks				
(Decrease)/increase in trade payables				
(Decrease)/increase in Other Long Term Liabilities				
(Decrease)/increase in Long Term Provisions				
(Decrease)/increase in Short Term Provisions	8,384,273		16,000,000	
(Decrease)/increase in current liabilities	164,981		28,500	
Cash from/(used in) operating activities	(248,031,210)		(524,867,939)	
Less: taxes paid	25,725,851	(273,757,061)	16,000,000	(540,867,939)
Net Cash from/(used in) operating activities		(273,757,061)		(540,867,939)
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Sale/ (purchase) of fixed assets				
Sale/ (purchase) of investments				
Interest received				
Net cash from/(used in) investing activities				
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
(Decrease)/increase in Share Capital	274,875,000		724,575,000	
(Decrease)/increase in Share Application money pending allotment	(224,875,000)		(334,700,000)	
(Decrease)/increase in Short Terms Borrowings				
(Decrease)/increase in Long Term Borrowings				
Interest paid		50,000,000		389,875,000
Net cash from/(used in) financing activities		50,000,000		389,875,000
D. Net Increase/(decrease) In cash and cash equivalents (A+B+C)		(223,757,061)		(150,992,939)
Cash and cash equivalents as at the beginning of the year		223,957,061		374,950,000
Cash and cash equivalents as at the end of the year		200,000		223,957,061
		(223,757,061)		(150,992,939)
Note:				
Cash and cash equivalents include:				
Cash				
Balance with scheduled banks :				
In Current accounts (net)		200,000		223,957,061
in Form FDR				
Cash and Cash equivalents		200,000		223,957,061

As per our report of even date

For SARIA GUPTA & CO.
Chartered Accountants
(Registration No. 003168N)

For and on behalf of the Board

Sumit Gupta
Partner
Membership No. 513321

(Managing Director)
DIN:06497700

(Director)
DIN02943220

Place : New Delhi
Date : 04.08.2016

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

परिशिष्ट एवं बेलेंस शीट और लाभ व हानि के विवरण
के निर्माण का अंणा (31 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

1. सामान्य सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 21 अगस्त 2013 को हुई जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रेपिड डिजाइनिंग, विकास करने, लागू करने वित्तीयकरण, संचालन और रख-रखा करेगा ताकि एनसीआर से जुड़े नगरों के सुविधापूर्ण और तीव्र गति का परिहर्न उपलब्ध हो सके। यह कंपनी हर कॉरिडोर को लागू करने के लिए सहयोगी कंपनियों की बना सकती है।

2. लेखा नीतियों की महत्वपूर्ण सारांश

2.1. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

यह वित्तीय (जीएएपी) के तहत ऐतिहासिक लागत और सटीक अनुमान आधार पर तैयार किया गया है। जीएएपी अनिवार्य लेखा मापदंडों को लेकर बनी है जो कंपनी अधिनियम 2013 धारा 133 के अंतर्गत वर्णित है। (नियम कंपनी एकाउंट नियम 2014 के प्रावधानुसार)

2.2 अनुमानित लागत का प्रयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सि(तों के आधार पर, अनुमान और प्रभाव, परिसंपत्ति और देनदारी की राशियों, परिसंपत्तियों के खुलासों और देनदारियों के आधार पर निर्धारित दिनांक तक की जाती है और बताई गई वार्षिक राजस्व राशि और व्यय को दर्ज किया जाता है। वास्तविक परिणाम दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकता है। अनुमानित लागत और आधारभूत पुर्वानुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है है। यह पुनःअवलोकन वर्तमान और भविष्य के लिए लेखानुमानों के लिए मान्य है।

2.3 असाधारण एवं अपवाद आइटम

आया या व्यय, जो आयोजन या लेनदेन से उत्पन्न होती है, स्पष्ट रूप से कंपनी की सामान्य गतिविधि है, किंतु इसे असाधारण आइटम में वर्गीकृति किया गया है। इस प्रकार के आयोजन/लेनदेन के वित्तीय विवरण में विशेष खुलासे के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह कंपनी के नियंत्रण से परे कोई बाध्य आयोजन आय और व्यय पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है तो इसे भी असाधारण आइटम माना जाएगा।

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED
Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2016

ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016
AND STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED ON THAT DATE

1- General Information

National Capital Region Transportation Corporation Limited was incorporated on August 21, 2013 under the Companies Act, 2013 for designing, developing, implementing, financing, operating and maintaining Regional Rapid Transit system (RRTS) in National Capital Region (NCR) to provide comfortable and fast transit to NCR towns and meet the high growth in transport demand. This company may form subsidiary companies for implementing each corridor.

2- Summary of significant accounting policies

2.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements are prepared in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) under the historical cost convention on the accrual basis. GAAP comprises mandatory accounting standards as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent notified).

2.2 Use Of Estimate

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses for the years pre seted. Actual results could differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2.3 Extraordinary and Exceptional Items

Income or Expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the Company are classified as extraordinary items. Specific disclosure of such events/transactions is made in the financial statements. Similarly, any external event beyond the control of the company, significantly impacting income or expense, is also treated as extraordinary item and disclosed as such.

2.4 करेंट तथा अस्थगित कर

आय पर कर कर योग्य आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और यह तथा आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तथा मान्य है। अस्थगित परिसंपत्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार करके अस्थगित कर को मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य है और किसी हद तक भविष्य की आय में आगे बढ़ाया जा सकता है। अस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों कर की दरें और कर कानूनों को अधिनियमित किया गया है। यह स्वतंत्र अधिनियमित बैलेंस शीट तारीख तक का उपायोग कर मापा जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि में, यदि कोई हो तो अपरिचित अस्थगित परिसंपत्ति का आकलन किया जाता है।

2.5 बैलेंसशीट में आयोजनों का विवरण

बैलेंसशीट में कंपनी की कार्यशैली में उन सभी आयोजनों का उल्लेख किया जाता है, जो कंपनी में आर्थिक प्रभाव डालती है।

2.6 अवधिपूर्व आइटमों से व्यवहार

अवधिपूर्व आइटमों से संबंधित, आदि लाभ-हानि विवरण में आदत राशि औ और यदि कोई जमा राशि है तो उसे आय के तौर पर माना जाएगा।

2.7 प्रारंभिक व्यय से व्यवहार

आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार प्री-इनकार्पोरेशन प्रारंभिक खर्चों को वर्ष के दौरान गैर-दर्ज माने जाना होगा।

2.8 आकस्मिक देनदारियों से व्यवहार

सभी जानकारी पूर्ण देनदारियां, आकस्मिक स्वभाव की देनदारियों को छोड़कर, खातों में दी गई है।

2.9 प्रति शेयर

प्रतिशेयर आय का निर्धारण शु(और हानि के पश्चात निर्धारित किया जाता है। कंपनी की कुल शयरों के आधार पर प्रति शेयर आय पर प्रमुख पड़ता है।

2.11 लेखा नीतियाँ जो वर्तमान में प्रासांगिक नहीं हैं, उन्हें उद्घाटित नहीं किया जाएगा। जबसे लेखा नीतिआंप्रासंगिक होंगी तब उन्हें उद्घाटित किया जाएगा।

2.4 Current and deferred tax

Tax on Income is determined on the basis of taxable Income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961.

Deferred tax is recognized for all the timing differences, subject to the consideration of prudence in respect of deferred tax assets. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. At each Balance Sheet date, the group re- assesses unrecognized deferred tax assets, if any.

2.5 DISCLOSURE OF EVENTS SUBSEQUENT TO THE BALANCE SHEET

All the major events subsequent to Balance Sheet which have material effect on the working of the Company, have been disclosed wherever necessary.

2.6 TREATMENT OF PRIOR PERIOD ITEMS

The net of items relating to prior period, if debit is debited to Statement of Profit & Loss and if credit, credited to Statement of Profit & Loss and treated as income.

2.7 TREATMENT OF PRELIMINARY EXPENSES

All preliminary and pre-incorporation expenses being intangible is being written off completely during the year in which it is expended as required by AS-26 for intangible assets issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

2.8 TREATMENT OF CONTINGENT LIABILITIES

All known liabilities are provided for in the accounts except liabilities that are of a contingent nature, in respect of which suitable disclosures are made in the accounts.

2.90 Earning Per Share

The earnings considered in ascertaining the Company's EPS comprises the net profit/ Loss after tax. The number of shares used in computing basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year.

2.10 RECOGNITION OF INTEREST INCOME

Interest Income are recognised on accrual basis.

2.11 The Accounting policies that are currently not relevant to the company have not been disclose. When such accounting policies become relevant, the same shall be disclosed.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, लि.

31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी

	(Amount in Rs.)		(Amount in Rs.)	
	31.03.2016		31.03.2015	
	Number	Amount	Number	Amount
शेयर पूंजी				
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी				
प्रति सेकड़ा इक्वीटी शेयर	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
योग: वर्ष के दौरान बढ़ोतरी ;इक्वीटी शेयर प्रति सेकड़ा)	-	-	-	-
प्रति सेकड़ा इक्वीटी शेयर	10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
(बी) निर्गमित, अभिदत्त एवं आंशिक प्रदत्त				
प्रति सेकड़ा इक्वीटी शेयर	10,000,000	1,000,000,000	7,251,250	725,125,000
कुल निर्गमित, अभिदत्त, एवं पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	10,000,000	1,000,000,000	7,251,250	725,125,000
(अ) आरंभ में, और समीक्षाधीन अवधि के अंत में				
बकाया शेयरों का समन्वय				
	31.03.2016		31.03.2015	
	Number	Amount	Number	Amount
अवधि के आरंभ में	7,251,250	725,125,000	5,500	550,000
निर्गमित अवधि में	2,748,750	274,875,000	7,245,750	724,575,000
अवधि के अंत में बकाया	10,000,000	1,000,000,000	7,251,250	725,125,000
(ब) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक द्वारा रखा गया शेयर, शेयर धारक का नाम				
	31.03.2016		31.03.2015	
	Number	Amount	Number	Amount
शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से				
श्री सुधीर कृष्णा	1,250	125,000	1,250	125,000
श्रीसंजीव कुमार लोहिया	250	25,000	250	25,000
भारत के राष्ट्रपति	2,248,500	224,850,000	1,748,500	174,850,000
रेल मंत्रालय के माध्यम से				
श्री अरुणेंद्र कुमार	2,248,750	224,875,000	-	-
	1,250	125,000	1,250	125,000
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से				
सुश्री नैनी जयासीलन	250	25,000	250	25,000
सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)	499,750	49,975,000	499,750	49,975,000
राज्य सरकार				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से				
श्री दीपक मोहन स्पेलिया	625	62,500	625	62,500
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा दिल्ली के उपराज्यपाल	1,249,375	124,937,500	1,249,375	124,937,500
हरियाणा सरकार के माध्यम से				
श्री प्रदीप कुमार चौधरी	625	62,500	625	62,500
हरियाणा के राज्यपाल	1,249,375	124,937,500	1,249,375	124,937,500
राजस्थान सरकार के माध्यम से				
श्री सी के मैथ्यू	625	62,500	625	62,500
राजस्थान के राज्यपाल	1,249,375	124,937,500	1,249,375	124,937,500
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से				
श्रीसदा कान्त	625	62,500	625	62,500
उत्तर प्रदेश उपराज्यपाल	1,249,375	124,937,500	1,249,375	124,937,500
Total	10,000,000	1,000,000,000	7,251,250	725,125,000

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED
Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2016

3 Share capital

(A) Authorised share capital

Equity shares of Rs.100 each
Add: Increased during the year (Equity shares of Rs. 100 each)
Equity shares of Rs. 100 each

(Amount in Rs.)		(Amount in Rs.)	
31.03.2016		31.03.2015	
Number	Amount	Number	Amount
10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000
10,000,000	1,000,000,000	10,000,000	1,000,000,000

(B) Issued, subscribed and Partial paid up

Equity shares of ` 100 each

10,000,000	1,000,000,000	7,251,250	725,125,000
------------	---------------	-----------	-------------

Total issued, subscribed and fully paid up share capital
a. reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at end of the reporting period

31.03.2016		31.03.2015	
Number	Amount	Number	Amount
7,251,250	725,125,000	5,500	550,000
2,748,750	274,875,000	7,245,750	724,575,000
10,000,000	1,000,000,000	7,251,250	725,125,000

At the beginning of the period

issued during the period

Outstanding at the end of the period

b. Shares held by each shareholder holding more than 5% shares

Name of shareholder

31.03.2016		31.03.2015	
Number	Amount	Number	Amount
Ministry of Urban Development through			
Sh Sudhir Krishna	1,250	125,000	1,250
Sh Sanjeev Kumar Lohia	250	25,000	250
President of India	2,248,500	224,850,000	1,748,500
Ministry of Railway through			
President of India	2,248,750	224,875,000	-
Sh Arunendra Kumar	1,250	125,000	1,250
National Capital Region Planning Board through			
Ms. Naini Jayascelan	250	25,000	250
Member Secretary, NCRPB	499,750	49,975,000	499,750
State Govt.			
Govt. of NCT of Delhi through			
Sh deepak Mohan Spolia	625	62,500	625
Lt. governor of NCT Delhi	1,249,375	124,937,500	1,249,375
Govt of Haryana through			
Sh pardeep kumar Chaudhery	625	62,500	625
Governor of haryana	1,249,375	124,937,500	1,249,375
Govt of Rajasthan through			
Sh. CK Mathew	625	62,500	625
Governor of rajasthan	1,249,375	124,937,500	1,249,375
Govt of U.P through			
Sh. Sada Kant	625	62,500	625
Governor of U.P	1,249,375	124,937,500	1,249,375
Total	10,000,000	1,000,000,000	7,251,250
			725,125,000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, लि.

31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी

	(Amount in Rs.) 31.03.2016	(Amount in Rs.) 31.03.2015
आरक्षित एवं अधिशेष		
लाभ और हानि के विवरण के लिए अधिशेष		
वित्तीय विवरण के हिसाब से बैलेंस	33,844,305	(180,402)
वर्ष के लिए लाभ	45,824,198	34,024,707
योग लाभ व हानि के विवरण के लिए निवल अधिशेष	79,668,503	33,844,305
प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-
कुल आरक्षित एवं अधिशेष	79,668,503	33,844,305
शेयर आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित रेल मंत्रालय	-	224,875,000
	-	224,875,000
अल्प अवधि प्रावधान		
आय कर प्रावधान	24,384,273	16,000,000
	24,384,273	16,000,000
अन्य मौजूदा देयताएं		
अन्य देय	174,828	-
देय लेखा	28,625	50,972
शुल्क	12,500	-
टीडीएस देय	215,953	50,972
स्थगित कर परिसंपत्ति		
ओपनिंग बैलेंस	1,246,520	1,662,020
एडीशन/(रिजर्वड) वर्ष के दौरान	(381,540)	(415,500)
	864,980	1,246,520
नकदी एवं बैंक बैलेंस		
(अ) नकदी एवं नगदी के समकक्ष		
नकद रुपया	-	-
बैंक बैलेंस	200,000	223,957,061
चालू खातते में		
	1,079,290,621	769,366,142
फिक्स डिपॉजिट, 12 महीने से कम	1,079,490,621	993,323,203
10 अल्पावधि ऋण व अग्रिम असुरक्षित		
एडवांस एवं व्यय	-	56,735
रिफंड/इनकम टैक्स पेड (एवाहे 2014-15)	4,308	215,119
रिफंड/इनकम टैक्स पेड (एवाहे 2015-16)	30,533	5,053,700
रिफंड/इनकम टैक्स पेड (एवाहे 2016-17)	23,878,287	-
	23,913,128	5,325,554

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED
Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2016

	(Amount in Rs.) 31.03.2016	(Amount in Rs.) 31.03.2015
4 Reserves and surplus		
Surplus in the statement of profit and loss		
Balance as per last financial statements	33,844,305	(180,402)
Add : Profit for the year	45,824,198	34,024,707
Net Surplus in the statement of profit and loss	79,668,503	33,844,305
 Securities Premium Account	 -	 -
 Total Reserves and surplus	 79,668,503	 33,844,305
 5 Share Application Money Pending for Allotment		
Ministry of Railways	-	224,875,000
	-	224,875,000
 6 Short Term Provisions		
Provision For Income Tax	24,384,273	16,000,000
	24,384,273	16,000,000
 7 Other Current Liabilities		
Other's Payable	174,828	-
Audit Fees Payable	28,625	50,972
TDS Payable	12,500	-
	215,953	50,972
 8 Deferred Tax Assets		
Opening Balance	1,246,520	1,662,020
Addition/(Reversed) during the Year	(381,540)	(415,500)
	864,980	1,246,520
 9 Cash and bank balances		
A- Cash and cash equivalents		
Cash on hand	-	-
Balances with banks		
- in current accounts	200,000	223,957,061
 B- Other Bank Balances		
Fixed Deposits less than 12 months	1,079,290,621	769,366,142
	1,079,490,621	993,323,203
 10 Short Term Loans and Advances		
Unsecured		
Advance for Expenses	-	56,735
Refund/Income tax paid (A.Y. 2014-15)	4,308	215,119
Refund/Income tax paid (A.Y. 2015-16)	30,533	5,053,700
Advance Tax and TDS (A.Y. 2016-17)	23,878,287	-
	23,913,128	5,325,554

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, लि.
31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले वर्ष के लिए टिप्पणी

	(Amount in Rs.) 31.03.2016	(Amount in Rs.) 31.03.2015
11. राजस्व		
अन्य आय		
एफडीआर पर ब्याज	73,780,351	50,536,982
	73,780,351	50,536,982
12. अन्य व्यय		
विज्ञापन	50,000	-
लेखा परीक्षक को भुगतान	28,625	28,500
बोर्ड बैठक का व्यय	3,863	-
बिजनेस प्रमोशन का व्यय	8,475	-
डोमेन का नवीनीकरण	2,000	-
शुल्क और कर	21,700	-
फाइलिंग शुल्क	-	68,265
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी	54,264	-
प्रोफेशनल शुल्क	49,3415	-
आर ओ सी शुल्क	17,400	-
स्टांप ड्यूटी	1,011,0200	-
अनुवाद चार्जस	8,000	-
	1,698,762	96,765
13. पूर्व अवधि आइटम		
प्रोफेशनल शुल्क	150,000	-
	150,000	-

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED
Notes to the financial statements for the year ended 31st March 2016

	(Amount in Rs.)	(Amount in Rs.)
	31.03.2016	31.03.2015
11 Revenue		
Other Income		
Interest on FDR	73,780,351	50,536,982
	73,780,351	50,536,982
12 Other Expenses		
Advertisement	50,000	-
Payment to Auditor	28,625	28,500
Board Meeting Expenses	3,863	-
Business Promotion Expenses	8,475	-
Domain Renewal	2,000	-
Fees & Taxes	21,700	-
Filing Fees	-	68,265
Printing & Stationery	54,264	-
Professional Fees	493,415	-
ROC Fess	17,400	-
Stamp Duty	1,011,020	-
Translation Carges	8,000	-
	1,698,762	96,765
13 Prior Period Items		
Professional Fees	150,000	-
	150,000	-

राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

14 टिप्पणी एवं अन्य विवरण

14.1 आकस्मिक देयताएं

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सामान्य खाता द्वारा प्राप्त शेयर आवेदन राशि के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों में जुर्माना देने की स्थिति में आकस्मिक देयताओं को अस्वीकर करना शामिल है और शेयर आवंटन की स्थिति में पीएस-3 फार्म न भरने पर जुर्माना देय है।

14.2. 01.4.2015 को अस्थागित कर सम्पत्ति 12,45,620 रु. थी। इस वर्ष के दौरान कंपनी की अस्थागित कर सम्पत्ति 3,81,520 रु. रिजर्व रही जिसे पूर्ववर्ती व्यय खाते में अस्थागित कर संपत्ति का दावा किया गया है। परिणाम स्वरूप 31.3. 2016

14.3 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में आयकर राशि का प्रावधान 2,43, 84, 272.52 रुपए किया गया। (पूर्व वर्ष में 1,60,00,000)

प्रति शेयर आय

विवरण	साल के लिए 31 मार्च को समाप्त 2016	साल के लिए 31 मार्च को समाप्त 2015
लाभ (हानी) शेयर होल्डर्स को आरोपणीय	45,824,198	34,024,707
वर्ष में शेष बचे इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	9,729,476	2,209,002
इक्विटी शेयर का सजात्मक मूल्य (.)	100	100
आधारभूत आय प्रतिशेयर	4.71	15.40

14.5 संबंधित पार्टियों के नाम

मुख्य कार्मिक प्रबंधन

श्री चंद्रशेखर राजन, निदेशक

श्री देविन्द्र सिंह धेसी, निदेशक

श्री बिजय कुमार त्रिपाठी, निदेशक

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, निदेशक

श्री केवल कुमार शर्मा

श्री राजीव गौबा, निदेशक

श्री केलाश कुमार अग्रवाल, निदेशक

श्री रविन्द्र नायक खात्रवाथ, निदेशक

A. कुंजी प्रबंधन के निम्नलिखित लेनदेन की जगह ले लिया है

नाम	रिश्ता	भुगतान की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शून्य				

15. वर्तमान अवधि में वर्गीकरण के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्गठित और पुनः वर्गीकृत, जहां जरूरी निश्चित करने के लिए समझा गया, किए गए

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

14 NOTES AND OTHER DISCLOSURES:

14.1 Contingent Liabilities

There exist a contingent liability in case penalty for non compliance of provisions of Companies Act, 2013 with respect to Share Application Money received in Common Bank Account during the F.Y 2014-15, utilisation of share application money and non filing of Form PAS-3 in case of allotment of shares.

14.2 That the deferred tax asset as on 01.04.2015 was Rs. 12,45,620/-. During the year, the company has reversed the deferred tax assets of Rs. 3,81,540/- on account of Preliminary Expenses claimed. There by resulting in balance amounting Rs. 8,64,980/- as on 31.03.2016

14.3 Provision for Income tax amounting Rs. 2,43,84,272.52/- (Previous Year Rs.1,60,00,000/-)has been made during the year ended on 31.3.2016.

14.4 Earnings per share (EPS)

Particulars	For the year ended March 31, 2016	For the year ended March 31, 2015
Profit (Loss) Attributable to shareholders	45,824,198	34,024,707
Weighted average number of Equity Shares Outstanding during the year	9,729,476	2,209,002
Nominal value of Equity Shares (‘)	100	100
Basic Earning per Share (‘)	4.71	15.40

14.5 Name of the Related parties & Relationship

i) Key Management Personnel

- a) MR.CHANDRA SHEKHAR RAJAN, DIRECTOR
- b) MR.DEPINDER SINGH DHESI, DIRECTOR
- c) MR.BIJAY KUMAR TRIPATHI, DIRECTOR
- d) MR.DURGA SHANKER MISHRA, DIRECTOR
- e) MR.KEWAL KUMAR SHARMA, DIRECTOR
- f) MR.RAJIV GAUBA, DIRECTOR
- g) MR.KAILASH KUMAR AGGARWAL, DIRECTOR
- h) MR.RAVINDER NAIK KHATRAVATH, DIRECTOR

A. Following Transactions of Key Management have taken place

NAME	RELATION	NATURE OF PAYMENT	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
NIL				

15 Previous year figures have been restated/regrouped/ reclassified wherever considered necessary to confirm to the current period classification.

सारिया गुप्ता एण्ड का0
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

1017/1ए, गुरुद्वारा रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005
फोन : 2875377, 28753775, 28750605

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा योजना बोर्ड, कोर IV-बी, इंडिया हेविटेड सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-11003 (दि कंपनी) पर स्थिति है, के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशनों/उपनिर्देश के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत प्रमाणित किए हैं और उनके अनुसार समीक्षा की है, जो हमें जारी किए गए।

कृते सारिया गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुमित गुप्ता
पार्टनर

सदस्या नं. 513321
फर्म रजि. 003168 एन

दिनांक : 04.08.2016

स्थान : नई दिल्ली

AUDITORS COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of National Capital region Transport Corporation Limited have its registered office at National Capital Region Planning Board, Core-IV B, First, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 ("the Company") for the year ended 31.03.2016 in accordance with directions/sub directions issued by the Comptroller and Auditor- General of India under section 143 (5) of the Companies Act. 2013 and certify that we have complied with all the directions/sub directions issued to us.

For **SARIA GUPTA & CO.**
Chartered Accountants

SUMIT GUPTA
Partner
M.No. 513321
Firm Reg:- 003168N

Date: 04.08.2016

Place: New Delhi

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2016 की बैलेस शीट, खत्म हुए वर्ष का लाभ और हानि का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना का सारांश समाविष्ट है।

वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 134 (5) इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए घोषित विषय के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी ही सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की जानकारी सहित कंपनी अधिनियम 2014 (लेखांकन) के नियम 7 के साथ की धारा 133 तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ पढ़ा जाए। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी का पता लगाने और प्रतिकार करने और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन निष्पक्ष और उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाना भी शामिल है। जो पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन रखरखाव के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं। क्योंकि लेखांकन रिकॉर्ड की प्रभावी ढंग से संचालन किया था। जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और कार्यान्वयन करने के लिए प्रासंगिक है। यह सही और निष्पक्ष मत देने और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत बयान देने से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों को लेखांकन और लेखा मानकों एवं तथ्यों को लेखा में लिया है। जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाए लेखा परीक्षा का रिपोर्ट को शामिल करना आवश्यक है और इसके तहत नियम बनाए गये हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन वर्णित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा तैयार किया है। जिन मानकों की आवश्यकता हुई है हमने नैतिक आवश्यकता और योजना के अनुयय पालन किया है और लेखा परीक्षा का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि दोनों में से कौन सा वित्तीय विवरण तथ्य के गलत अनुमान से मुक्त है।

AUDITORS' REPORT

TO THE
MEMBERS OF
NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **National Capital Region Transport Corporation Ltd.**, which comprise the Balance Sheet as at March 31st, 2016, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act 2013 (the Act) with respect to preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for insuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

लेखा परीक्षा के वित्तीय विवरण में जमा रकम और प्रकट की हुई वस्तुओं के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। चयन प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के गलत अनुमान से मुक्त जोखिमों के आकलन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है। उन जोखिम का आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी को उचित आंतरिक नियंत्रण का ध्यान रखता है जो लेखा परीक्षा को डिजाइन करने के क्रम में सही और निष्पक्ष राय देता है। जो परिस्थिति के अनुकूल है लेकिन जहां कम्पनी इस तरह के नियंत्रण के उद्देश्य से प्रभावशाली परिचालन लागत पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के स्थान पर राय अभिव्यक्त नहीं करना है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किये गये लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान की विश्वसनीयता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का समग्र मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा की राय लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करता है।

सलाह

हमारी राय में और हमारी महत्वपूर्ण जानकारी और हमें लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण का अधिनियम द्वारा आवश्यक तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी देता है और भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष राय देता है।

अ. 31 मार्च 2016 को कम्पनी की स्थिति में बैलेंस शीट की वस्तुस्थिति

ब. उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ और हानि का विवरण:

स. उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में कम्पनी के नकद प्रवाह के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

अन्य कानून और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143, उपधारा (11) की शर्तों में भारतीय केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के अनुबंध के अनुच्छेद

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित के रूप में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

अ. हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे संज्ञान और विश्वास में जो भी आवश्यक था उन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण को प्राप्त करने की हमने मांग की है।

ब. हमारी राय में कानूनी रूप से जरूरी समुचित लेखा पुस्तिका में कंपनी द्वारा रखी गई उन खाते के बारे में हमारी जांच दिखाई देती है।

स. खाता पुस्तिका के करार में बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट के साथ प्रवाह का विवरण पेश किया गया है।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2016;
- b) In the case of the statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and
- c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016, issued by the Central Government of India in terms of subsection (11) of section 143 of the Act, we enclose in the Annexure 'A' statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

- द. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण लेखा मानक के अनुसार धारा 133 के तहत निदृष्टि लेखा कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।
- इ. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिया गया है, अधिनियम की धारा 164 (2) के शर्तों पर नियुक्त निदेशक को, 31 मार्च, 2016 को किसी भी निदेशक को आयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- फ. हमारी राय और हमारे संज्ञान और हमें दी गई स्पष्टकरणी के अनुसार हमने अन्य तथ्यों के संबंध में कम्पनियों के (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 को नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षाओं के रिपोर्ट में शामिल किया है।
1. कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कानूनी मामला लंबित नहीं है जिससे कि उसका वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
 2. कंपनी के पास गौण अनुबंध सहित कोई भी दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं है जिससे कि निकट भविष्य में किसी तथ्य के लिए हानि हो।
 3. कंपनी द्वारा कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक नहीं है।

सारिया गुप्ता-कं. के लिए
सनदी लेखाकार
(फार्म पंजीयन संख्या. रु 003168 N)
ह0 /
सुमित गुप्ता
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 513321)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 04.08.2016

- d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified in Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31st, 2016 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31st, 2016, from being appointed as a director in terms of section 164 (2) of the Act.
- i) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure 'B' and
- j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The company does not have any pending litigation which would impact its financial position.
 - ii. The Company did not have any material foreseeable losses on long term contracts including derivatives contracts.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For Saria Gupta & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Registration No.:- 003168N

Sd/-

Place : New Delhi
Date : 04.08.2016

(CA Sumit Gupta)
Partner
M. No. 513321

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट का एनेक्सर-ए

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि. के 2 सदस्यों के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अपनी जांच के आधार पर, हमने समुचित विचार किया और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं—

1. कंपनी के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है इसलिए कंपनी धारा 3 (i) लागू नहीं है।
(आडिटर की रिपोर्ट 2016)
2. कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के स्वभाव के अनुसार कंपनीज (आडिटर रिपोर्ट) आदेश 2016 धारा (3 ii) विस्तृत सूची का रखरखाव लागू नहीं है।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाये गये रजिस्टार में सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के संबंध में पार्टियों को शामिल किया है:
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 189 के तहत संरक्षित रजिस्टार में कम्पनी ने किसी भी पक्ष को असुरक्षित ऋण देना मंजूर नहीं किया।
4. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी का आकार और उनका व्यवसायिक प्रकृतिक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं के अनुरूप हैं। हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण में हमें कोई भी बड़ी कमियों को दूर करने में विफलता देखने को नहीं मिला है।
5. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष भर में कम्पनी ने किसी प्रकार का सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार नहीं किया।
6. जैसा कि हमें सूचित है, केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 148 के अपराध (1) के तहत कम्पनी के गतिविधियों के संदर्भ में लागत अभिलेखों को निर्धारित नहीं किया गया है।
हमें करने के लिए सूचित के रूप में, केंद्र सरकार (1) अधिनियम की धारा 148 के, कंपनी द्वारा किए गतिविधियों के संबंध में उपधारा के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है।
7. सावंधिधिक देय राशि के संबंध में:
(अ). कम्पनी के रिकार्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने आमतौर पर निर्विवाद रूप से वैधानिक बकाया राशि, भविष्य निधि कोश, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) स्रोतों, से आयकर की कटौती, स्रोतों से एकत्र आयकर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, यौगिक मूल्य कर (वैट), स्वास्थ्य कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क, उपकर और लागू अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया आयकर की राशि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में नियमित रूप उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराया है।
(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2016 को निर्विवाद बकाया देय राशि, आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क कर, वैट उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया

Annexure 'A' to the Auditors' Report of even date to the Member of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED on the financial statements for the year ended March 31, 2016

On the basis of such checks as we considered appropriate and in terms of information and explanations given to us, we state that:

- (i) The company does not have fixed assets, hence clause 3(i) of the Companies (Auditor's Report) Order 2016 is not applicable.
- (ii) The nature of the company's business activities is such that clause 3(ii) of the Companies (Auditor's Report) Order 2016 with regard to maintenance of inventory is not applicable.
- (iii) The company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnership or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the requirement of clause 3(iii) (a), (b) and (c) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable.
- (iv) The company does not have any loans, investments, guarantees and security referred to in section 185 and 186 of the companies Act, 2013. Accordingly, paragraph 3(iv) of the Order is not applicable.
- (v) The Company has not accepted any deposits from the public.
- (vi) The nature of the Company's business is such that maintenance of cost records specified by the central Government under sub section (1) of section 148 of the Companies Act, is not applicable.
- (vii)(a) According to the records of the company and information and explanations given to us by company, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities.
- (b) According to the information and explanation sought by us and given to us by the company, there were no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Custom - Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2016 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वहां कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए कंपनी द्वारा स्थांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
8. कंपनी चालू वित्त वर्ष के अंत में कोई भी हानि नहीं है। कंपनी को हमारे लेखा परीखा के वित्तीय आवृत्ति के दौरान किसी प्रकार का नकद नुकसान नहीं उठाना पड़ा है।
 9. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों और ऋण-पत्राधारकों के लिए देय राशि की अदायगी में चूक नहीं की है।
 10. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों या बैंक से ऋण लेने की गारंटी नहीं दी है।
 11. कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आदेश का यह पैरा लागू नहीं है।
 12. हमारे संज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी पर कोई भी धोखाधड़ी का मामला नहीं है। वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का नोटिस या रिपोर्ट नहीं है।
 13. अधिनियम का धारा 177 और 188 के अंतर्गत हमारे द्वारा परिक्षण और दी गई सूचनाओं के अनुसार कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई लेने देन नहीं किया है।
 14. हमें दी गई सूचनाओं और कंपनी के रिकार्ड की ³⁵समीक्षा के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान पूर्व सहमति के आधार पर शेयरहोल्डर्स को तरजीह शेयर आबंटन किया है।
 15. हमें दी गई सूचनाओं और हमारे द्वारा मांगी गई व्याख्याओं और हमारी जाँच के आधार पर कंपनी ने निदेशको और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर नगदी लेने देन नहीं किया है। अंत : पैराग्राफ 3 के अनुसार आर्डर लागू नहीं होता है।
 16. कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम 1934, धारा 45 आइए के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य नहीं है।

सारिया गुप्ता—कं.के. लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीयन संख्या: 003168 एन)

सुमित गुप्ता (पार्टनर)
(सदस्यता संख्या: 513321)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 04-08-2016

- (c) According to the records of the company, there are no dues of sales tax/ income-tax/ value added tax/ customs duty/ excise duty/ cess which have not been deposited on account of dispute.
- viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no outstanding dues to banks and hence this clause is not applicable. There were no dues repayable to debenture holders, government and financial institutions.
- (ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3 (ix) of the Order is not applicable.
- (x) According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.
- (xi) Since, the company has not paid any managerial remuneration during the year hence reporting under para 3(xi) of the Order is not applicable.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, there are no transactions with the related parties under sections 177 and 188 of the Act, hence this clause is not applicable.
- (xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has made preferential allotment of shares during the year to the shareholders as agreed between them earlier.
- (xv) In terms of information and explanation sought by us and given by the company and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3 (xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) The company is not required to be registered under section 45 - IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

For Saria Gupta & Co.
Chartered Accountants
(Registration No. 003168N)

Sd/-

C.A. Sumit Gupta
Partner
(Membership No. 513321)

Place : New Delhi
Date : 04-08-2016

संलग्नक -बी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट
उसके सदस्यों के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा
143 की उपधारा 3 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि. की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमने लेखा परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय कंट्रोल रिपोर्टिंग के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइनिंग, लागू करना तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव, प्रभावशाली संचालन को सुनिश्चित करना और कार्य को कुशलतापूर्वक शामिल है, जिसमें कंपनी की नितियां, सुरक्षा तथा परसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी को रोकना तथा और लेखा रिकार्ड में त्रुटि रहित सटीकता और पूर्णता लाने और समयानुसार संतोषजनक सवित्तीय सूचनाओं की समय से तैयारी करना कंपनी एम 2013 के तहत जरूरी है।

लेखाकारों जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग के आधार पर अपनी राय देना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के दिशा निर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में सुनिश्चितता के लिए इन दिशा निर्देशों उपेक्षित था। हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र के बारे में लेखा प्रमाण जुटाना हमारी ऑडिट प्रक्रिया में सम्मिलित है।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में जोखिम और भौतिक दुर्बलता का होना और डिजाइनिंग, संचालन, प्रभावशीलता का परीक्षण सम्मिलित है। हमने वित्तीय विवरण में त्रुटिपूर्ण विवरण के जोखिम, चाहे वह गलती से या धोखाधड़ी से किया गया हो, उसकी भी जांच की है।

हमारा विश्वास है कि हमें लेखा प्रमाण पर्याप्त और समुचित प्रदान किए गए, जिनके आधार पर हमने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया।

ANNEXURE B TO THE AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE TO THE MEMBERS OF THE NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED ON THE INTERNAL FINANCIAL CONTROLS UNDER CLAUSE (i) OF SUB - SECTION 3 OF SECTION 143 OF THE COMPANIES ACT, 2013 ("THE ACT").

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED** as of 31 March 2016 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समुचित स्पष्ट सुनिश्चितता और विश्वसनीयता ज्ञात होती है तथा वित्तीय विवरण को बाध्य उद्देश्य के अनुसार बनाने के लिए सामान्य तौर पर एकाउंटिंग सिद्धांत स्वीकृत हैं किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन नीतियों और प्रक्रियाओं पर आधारित है : (1) समुचित, विस्तृत रिकार्ड का रख रखाव, सटीक एवं निष्ठापूर्वक लेनदेन तथा कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटारा सम्मिलित है।

(2) समुचित, सुस्पष्ट लेन-देन, वित्तीय विवरण में दर्ज करना जो स्वीकृति लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हों और जमा व खर्च कंपनी के अधिकृत प्रबंधन व निदेशकों के अनुसार दर्ज हों

(3) अनधिकृत प्रविष्टियों को सही समय पर हटाना अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटारा करना, जो कंपनी के वित्तीय विवरण पद प्रभाव डालती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में मिलीभगत या अनियंत्रित अनुचित प्रबंधन, आर्थिक के प्रबंधन त्रुटिपूर्वक अथवा धोखाधड़ी अंतर्निहित सीमाओं में शामिल है। किसी ऐसे मूल्यांकन का अनुमान, जो भविष्य में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग में जोखिम पैदा करता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन को कुप्रभावित करता है।

राय

हमारी राय में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुई अवधि में सभी भौतिक पहलुओं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र और प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। यह राय हमने कंपनी के द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग का मापदंड स्थापित करने तथा अवश्यक तत्वों को देखकर और आईसीआई के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार दी है।

कृते,
सारिया गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं.: 003168 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04-08-2016

(सीए समुति गुप्ता)
पार्टनर
सदस्य सं. 513321

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Sd/

For Saria Gupta & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Registration No.: -003168N

Place : New Delhi

Date : 04-08-2016

(CA Sumit Gupta)

Partner

M. No. 513321

वार्षिक लेखा 2015-16 कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेख परीक्षा द्वारा जारी क्षेत्रों का संकेत करने वाला दिशा-निर्देशों की जांच सांविधिक लेख परीक्षकों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा परिवहन निगम लि. के खातों के लेखा-परीक्षा के दौरान की गई।

1	क्या कंपनी के पास है विलयर टाइटिल/लीज लीड्स फ्रीहोल्ड व लीज होल्ड के लिए यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड एवं लीज होल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें, जिसका टाइटिल/लीज डीड्स उपलब्ध नहीं है।	लागू नहीं
2	क्या कोई ऋण/उधारी/ब्याज आदि माफ करने का मामला है तो राशि सहित कारण बताएं।	लागू नहीं क्योंकि वाजिज्यिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई
3	क्या तृतीय पार्टी के साथ उचित रिकार्ड वाली विस्तृत सूची उपलब्ध है और सरकार या अन्य संस्थाओं से उपहार लिया गया है,	लागू नहीं

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 04.08 2015

कृते, सारिया गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

एसडी/

(सुमित गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता क्र.513321
फर्म रजि0 नं. 003168N

DIRECTIONS INDICATING THE AREAS TO BE EXAMINED BY THE STATUTORY AUDITORS DURING THE COURSE OF AUDIT OF ANNUAL ACCOUNTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LTD. FOR THE YEAR 2015-16 ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

1	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?	NOT APPLICABLE
2	Whether there are any cases of waiver/ write off debts/ loans/ interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	NOT APPLICABLE AS THE CORPORATION IS YET TO INITIATE ANY COMMERCIAL OPERATIONS.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift from Govt. or other Authorities	NOT APPLICABLE

Place: New Delhi
Dated: 04.08.2016

FOR SARIA GUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-

(SUMIT GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 513321
FIRM REG. NO. 003168N



संख्या / PDCA-I/ND/CHQ/29-142/2016-17/Vol-II/64,

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

दिनांक/ 27-09-2016

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
7/6, AMDA, बिल्डिंग,
सीरी फोर्ट इस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली - 110049

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अधीन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक
महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की
'शून्य टिप्पणियाँ' अंग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और
कम्पनी की वार्षिक आम सभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा
परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त

(नीलेश कुमार शाह)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENT OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT
CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016**

The preparation of financial statements of National Capital Region Transport Corporation Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 04 August 2016.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6) of the Act of the financial statement of National Capital Region Transport Corporation Limited For the year ended 31st March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

**Place: New Delhi
Dated: 27 September 2016**

**(Neelesh Kumar Sah)
Principal Director of Commercial Audit
& ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi,**

National Capital Region Transport Corporation Limited

Registered Office :

National Capital Region Planning Board, Core-IV B, First Floor,
India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110003
Phone No.-011-24642285
CIN NO. U60200DL2013GOI256716